fgekpy izns'k vkokl ,oa 'kgjh fodkl izkf/kdj.k e.My /keZ'kkyk] ds ys[kkvksa vof/k 4@2009 ls 3@2010 ds vads{k.k izfrosnu esa mYysf[kr xEHkhj vfu;ferrkvksa dk laf{kIr fooj.k

Øe la[;k	xEHkhj vfu;ferrk dk laf{kIr fooj.k	iSjk la[;k	jkf'k ¼₹½ yk[kksa esa	i"B la[;k
1	हिमुडा मण्डल धर्मषाला द्वारा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर दिनांक 31.03.10 तक प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण शेष वसूली।	4	₹212.09	
2	दिनांक 31.03.10 तक मिश्रित अग्रिमों की समायोजन हेतु शेष राशि	5	₹55.20	
3	रख–रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.10 को वसूली योग्य शेष राशि	6	₹99.37	
4	आवासीय परिसरों से 31.03.10 तक रख–रखाव प्रभार की कम वसूली करना	7	₹0.57	
5	आवासीय परिसरों से जल प्रभार की दिनांक 31.03.10 तक शेष वसूली	10	₹2.73	
6	मिलेनियम पोलटैक्निक महा विद्यालय चम्बा के कार्य में संविदाकार को अनुचित लाभ, स्टील की कम वसूली 10 सी0सी0 की गलत गणना से अधिक व अनियमित भुगतान	11	₹31.43	
7	विभिन्न कार्यों की अतिरिक्त मदों की गलत दर निर्धारण से संविदाकार को अधिक भुगतान करना	12	₹3.23	
8	व0मा0पा0 पायसा के दो कमरों के निर्माण कार्य में सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य का मापन फोर्म वर्क के अनुरूप न होने से, खिड़कियों के शटर के गलत मापन अतिरिक्त कार्य मदों की गलत दर निर्धारण से संविदाकार को अधिक भुगतान	13	₹0.65	
9	आवासीय परिसर सिद्धपुर में ब्लाक सं0 12 के लिए प्रोटैक्षन कार्य में फोर्म वर्क व सी0सी0 के कार्य को अधिक भुगतान करना	14	₹0.35	
10	चयनित मास में भुगतान किए गए विभिन्न कार्य बिलों में ब्रिक वर्क की गलत दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	15	₹0.34	
11	विभिन्न कार्यों में ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड़ फास्ट के लिए बनाए गए कंक्रीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने से संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	16	₹0.29	
12	कर्मचारियों की पदोन्नती पर गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों की राशि का अदेय/अधिक भुगतान करना	27	₹1.06	
13	कर्मचारियों को गलत तिथियों से प्रवीणता वेतन वृद्धियों को स्वीकृत करने के कारण वेतन व भत्तों की राशि का अधिक भुगतान करना	28	₹0.26	
14	मण्डल के स्टॉक खाते में दिनांक 31.03.10 को शेष राशि व उप मण्डलों की स्टॉक इन्वैन्टरी की राशि में अन्तर	30	₹1.10	

fgekpy izns'k vkokl ,oa 'kgjh fodkl izkf/kdj.k e.My /kez'kkyk ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vads{k.k vof/k 4@2009 ls 3@2010

Hkkx&,d

1 ¼d½ izLrkouk %&

निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के धर्मषाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2010 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0आर0सी0 कटोच अधिषासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

¼[k½ xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्षाई गई है। वर्ष 4/89 से 3/09 तक मण्डल से सम्बन्धित 113 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

Øe la[;k	o"kZ	'ks"k isjksa dh la[;k	fVIi.kh
1	1989—90	1	
2	2000—01	1	
3	2003—04	4	आवास बोर्ड से सम्बन्धित पैरे
4	2004—05	1	
5	2005—06	12	
6	2006—07	26	
7	1996—97	11	
8	1997—98	24	एस0डी0ए उप मण्डल धर्मषाला से सम्बन्धित पैरे
9	1998—99	3	
10	1999—2001	8	

11	2007—08	12	आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरे
12	2008—09	10	
	;kx	113	

अतः अधिषासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास मण्डल धर्मषाला उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिष्चित करें।

Hkkx&nks

2 or'eku vads{k.k %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मषाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2010 का अंकेक्षण कार्य श्री पदम सिंह कंवर सहायक नियंत्रक (ले0प0), श्री विरेन्द्र चौधरी कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री नरेन्द्र शर्मा असिस्टैंन्ट आर्टीकल, द्वारा श्री कौल सिंह संयुक्त निदेषक के पर्यवेक्षण में दिनांक 18.11.2010 से 10.01.2011 तक धर्मषाला में किया गया। माह 3/2010 के लेखाओं का चयन विस्तरित अंकेक्षण हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण में आगामी पैराग्राफ मे दर्षाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी गलत/अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण धर्मषाला मण्डल के लेखाओं अवधि 4/2009 से 3/2010 के अंकेक्षण करने के शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 fgeMk e.My /keZ'kkyk }kjk fofHkUu foHkkxks dks fMikftV dk;ksZ ij fnukad 31-03-10 rd ikIr jkf'k ls vf/kd jkf'k 0;; djus dk dkj.k ₹212-09 yk[k dh olwyh 'ks"k %&

हिमुडा मण्डल धर्मषाला द्वारा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर दिनांक 31.03.10 तक कुल प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने के कारण ₹212.09 लाख वसूली हेतु शेष थे। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

Ø0 l0	fMikftV dk;Z dk uke	foHkkx dk uke	31-03-10 rd izkIr jkf'k	31-03-10 rd dqy O;;	izkIr jkf'k ls vf/kd O;;
1	मोहली सिद्धपुर में (लॉ) यूनिवर्सिटी का निर्माण	हिमाचल प्रदेश विष्व विद्यालय षिमला	380.00	464.77	84.77
2	पोलीटैकनिक कॉलेज चम्बा	प्रधानाचार्य पोल टैक्निक कॉलेज चम्बा	519.33	578.93	59.60
3	आऊट डोर स्टेडियम डलैहड़ (ऊना)	निदेषक युवा सेवाएं एवं खेल षिमला	40.25	60.07	19.82
4	चम्बा में किसान भवन का निर्माण	उपायुक्त चम्बा	14.50	17.75	3.25
5	डी0आई0ई0टी0 चम्बा	उपायुक्त चम्बा	111.48	119.29	7.81
6	नगरोटा बगवां में ओ0बी0सी0 होस्टल का निर्माण	समाजिक कल्याण विभाग षिमला	105.09	132.09	27.00
7	बैजनाथ में तहसील कल्याण कार्यालय का निर्माण धर्मषाला में	समाजिक कल्याण विभाग षिमला	11.45	19.95	8.50
8	प्राथमिक शिक्षा उप निदेषक के कार्यालय का निर्माण	उप निदेषक शिक्षा धर्मषाला	34.70	36.04	1.34
		;ksx	1216-80	1428-89	212-09

डिपोजिट कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि हिमुडा स्वयं ही उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य करता हैं। अतः यह अनियमितता हिमुडा प्रबन्धन मण्डल के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके तथा हिमुडा को डिपोजिट कार्यो पर प्राप्त राशि से

अधिक राशि व्यय करने के कारण ब्याज की राशि के भुगतान से होने वाली वित्तीय हानी को पूर्णतया रोका जा सके।

5 fnukd 31-03-10 dks fefJr vfxzeksa dh jkf'k ₹55]20]156-63 lek;kstu gsrq 'ks"k %&

हिमुडा मण्डल धर्मषाला के खातों में दिनांक 31.03.10 को मिश्रित अग्रिमों की राशि ₹55,20,156.00 समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का अग्रिम बार विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''ख'' में दर्षाया गया है। अतः मण्डल इस राशि के समायोजन हेतु उचित कदम उठाए ताकि मण्डल के खातों में अग्रिम की राशि को शून्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम की विवरण तालिका की जाँच करने पर पाया गया कि एक ही फर्म को दिए गए हैं जो कि लेखांकन पद्धति के अनुरूप नहीं है। अतः एक ही फर्म के नाम जारी अग्रिम राशियों को बार–बार न दर्षा करके एक ही खाते में दर्षाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼1½ vU; vfxze jkf'k;ka %&

दिनांक 31.03.10 को मण्डल के लेखों के अनुसार निम्न अन्य अग्रिम राशियां समायोजन हेतु शेष थी।

Øe la[;k	vfxze fooj.k	jkf'k
1	टी0टी0ए	(–) 4,227.00
2	मोटर साईकिल अग्रिम	(–) 17,523.00
3	आवास निर्माण अग्रिम	2,78,802.00
4	वेतन अग्रिम	1,572.00
5	स्टाफ अग्रिम	68,234.00
	;ksx	₹3]26]858-00

उपरोक्त अग्रिमों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि आवास निर्माण अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम राशियों का समायोजन वित्त वर्ष के अन्त तक होना अपेक्षित होता है लेकिन निम्न कर्मचारियों के खातों में 31.03.10 इन अग्रिमों की राशियां समायोजन हेतु शेष थी।

Øe la[;k	deZpkjh dk uke	31-03-10 dks lek;kstu gsrq 'ks"k jkf'k	vfxze dk fooj.k
1	श्री आर0एस0 पटियाल (जे0ई0)	1,100.00	टी0टी0ए0
2	श्री एच0एन0सिंह मु0 लिपिक	1,575.00	टी0टी0ए0

3	श्री किषोरी लाल डी0ए0	550.00	टी0टी0ए0
4	श्री राज कुमार गुप्ता	920.00	टी0टी0ए0
5	श्री एस0सी0 सूद	3,200.00	टी0टी0ए0
6	श्री चेत राम चपडासी	560.00	टी0टी0ए0
7	श्री एम0एल0 शर्मा	604.00	टी0टी0ए0
8	श्री वी0के0 कायस्था	400.00	मोटर साईकिल अग्रिम
9	श्री आर.एस0 पटियाल जे0ई0	800.00	मोटर साईकिल अग्रिम
10	श्री विजय कुमार ए0डी0एम	5,720.00	मोटर साईकिल अग्रिम
11	श्री जे0पी0 शर्मा	190.00	वेतन अग्रिम
12	श्री एच0एन0 सिंह	432.00	वेतन अग्रिम
13	श्री एस0एम0 भारद्वाज (ई0ई)	2,300.00	वेतन अग्रिम
14	श्री आसा नंद		
15	श्री एम0एल0 शर्मा	2,380.00	वेतन अग्रिम
16	श्री एच0एल0 धीमान	5,273.00	स्टाफ अग्रिम
17	श्री बलवीर सिंह	14,467.00	स्टाफ अग्रिम
18	श्री प्रकाश चन्द	45,758.00	स्टाफ अग्रिम
19	श्री कैलाश चन्द	2,746.00	स्टाफ अग्रिम

अतः मण्डल इन अग्रिम राशियों के समायोजन न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अग्रिम राशियों का समायोजन तुरन्त प्रभाव से करना सुनिष्चित करें। इसके अतिरिक्त कुछ अग्रिम की राशियां खातों में (–) के रूप में पड़ी हैं। इन खातों का समायोजन सम्बन्धित मण्डलों को सी0एस0एस0ए के माध्यम से करने के उपरान्त इन खातों को शून्य किया जाए।

6 j[k&j[kko iHkkj dk ₹99-37 yk[k fnukd 31-03-10 dks olwyh gsrq 'ks"k %&

हिमुडा मण्डल धर्मषाला के अधीन विभिन्न आवासीय परिसरों से सम्बन्धित रख–रखाव अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन परिसरों से दिनांक 31.02.10 को ₹99,37,029.00 वसूली हेतु शेष थे। इस राशि का परिसर वार विवरण निम्न प्रकार है।

Øe la[;k	ifjlj dk uke	mi e.My dk uke	fnukd 31-03-10 dks olwyh ;ksX; 'ks"k jkf'k
1	आवासीय परिसर देहरा जिला कांगड़ा	धर्मषाला उप मण्डल नं0 1	3,73,270.00
2	आवासीय परिसर कांगड़ा	धर्मषाला उप मण्डल नं0 II	15,13,417.00

3	पी0एस0एफ0 सिद्वपुर (मोहली) धर्मषाला	धर्मषाला उप मण्डल नं0 II	1,41,030.00
4	पी0एस0एफ खनियारा	धर्मषाला उप मण्डल नं0 II	1,23,197.00
5	आवासीय परिसर होल्टा पालमपुर	उप मण्डल पालमपुर	34,63,965.00
6	एस0एफ0एस विन्दरावन	उप मण्डल पालमपुर	2,33,873.00
7	आवासीय परिसर लोहान्टा	उप मण्डल पालमपुर	90,302.00
8	आवासीय परिसर रक्कड़ ऊना	उप मण्डल ऊना	39,47,047.00
9	आवासीय परिसर बन्गाणा	उप मण्डल ऊना	50,928.00
			₹99]37]029-00

उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्वतः ही स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा विभिन्न आवासीय परिसरों से रख–रखाव प्रभार की वसूली ठीक ढंग से नहीं की जा रही है और न ही इतनी बड़ी राशि की वसूली हेतु उचित व कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। अतः यह मामला हिमुडा प्रबन्धन के ध्यान में समुचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि इस राशि की वसूली हेतु मण्डल स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के उपरान्त शीघ्र वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

7 vkokl h; ifjl jk l s fnukd 31-03-10 rd j[k&j[kko dh jkf'k 57]772-00 dk ol yh gr q de n'kkuk %&

हिमुडा मण्डल के अधीन आवासीय परिसरों से सम्बन्धित रख–रखाव प्रभार की दिनांक 31.03.10 को वसूली हेतु शेष राशि के विवरण को रख–रखाव के अभिलेख से मिलान करने पर पाया गया कि ₹57,772.00 के रख रखाव प्रभार को विवरणी में या जो दर्षाया ही नहीं गया था या फिर कम दर्षाया गया। कम दर्षाई गई राशि का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''ग'' में दिया गया है। अतः मण्डल इस कम दर्षाई गई राशि की शुद्धि करने के उपरान्त अपने लेखों में सुधार करें। कम दर्षाई गई वसूली हेतु रख–रखाव की राशि की वसूली उचित माध्यम से करना भी सुनिष्चित करें।

8 fgeMk e.My /keZ'kkyk ds v/khu vkokl h; ifjl jk l s j[k&j[kko iHkkj dh jkf'k ₹8]514-00 dh de ol yh djuk %&

हिमुडा मण्डल धर्मषाला के अधीन विभिन्न आवासीय परिसरों से प्राप्त रख–रखाव प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि इन परिसरों से रख–रखाव की देय राशि से कम राशि की वसूली की गई। कम वसूल की गई राशि ₹8,514.00 का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''घ'' में दिया गया है। अतः इस राशि की वसूली या तो सम्बन्धित आबंटी से की जाए अन्यथा राशि की वसूली दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों से उत्तरदायित्व निर्धारण उपरान्त करना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

9 **vkoklh; ifjljk d j[k&j[kko dh x.kuk okLrfod {k=Qy l de {k=Qy d vk/kkj ij djus d dkj.k ₹4]802-00 dh de ekx o olyh djuk %&**

हिमुडा मण्डल धर्मषाला के अधीन विभिन्न आवासीय परिसरों के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''ङ'' में दर्षाए गए आवासीय परिसरों के आबंटियों से रख–रखाव प्रभार की मांग व वसूली मकान के वास्तविक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के आधार पर करने के कारण ₹4,802.00 की कम मांग व वसूली को या तो आबंटियों से प्राप्त किया जाए या फिर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों का ऊत्तरदायित्व निर्धारण के उपरान्त कम वसूल की गई राशि वसूल करना सुनिष्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

10 **fofHkUu vkoklh; ifjljk l ty iHkkj d :i e ₹2-73 yk[k fnukd 31-03-10 rd olyh gr 'k"k %&**

हिमुडा मण्डल धर्मषाला के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय परिसरों के जल प्रभार के अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन परिसरों के जल उपभोगताओं से दिनांक 31.03.10 तक ₹2,73,668.00 वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का परिसर वार विवरण निम्न प्रकार है :–

Øe l[;k	ifjlj dk uke	mi e.My dk uke	fnukd 31-03-10 dk olyh ;kX; jkf'k
1	आवासीय कलौनी कांगड़ा	उप मण्डल का नाम	29,604.00
2	पी0एस0एफ0एस बिन्दरावन पालमपुर	उप मण्डल पालमपुर	16,013.00
3	आवासीय परिसर लोहाना	उप मण्डल पालमपुर	5,698.00
4	पी0एस0एफ0 मोली सिद्धपुर धर्मषाला	उप मण्डल नं0 II धर्मषाला	1,93,136.00
5	आवासीय कलौनी रक्कड़ ऊना	उप मण्डल ऊना	28,465.00
6	आवासीय परिसर बन्गाणा (ऊना)	उप मण्डल ऊना	752.00
		;kx	₹2]73]668-00

अतः उपरोक्त वर्णित दिनांक 31.03.10 को शेष जल प्रभार की राशि ₹2,73,668.00 की वसूली के लिए मण्डल समुचित कार्यवाही अमल में लाना सुनिष्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाए।

11 **feyfu;e ikyVfDud egkfo|ky; pEck ¼C/o Admn block, Institute block i/c internal water supply, S.I and development of site½ d dk;l e lfonkdkj**

dk vuqfpr ykHk] LVhy dh de olwyh] 10 lh0lh0 dh xyr x.kuk] bR;kfn dk dkj.k ₹31]43]218-00 dh jkf'k dk vf/kd o vuqfpr Hkqxrku djuk %&

मिलेनियम पोलटैक्निक महाविद्यालय चम्बा (C/o Admn Block, Institute block i/c internal water supply, S.I. and site development) के कार्य का आबंटन अधिषासी अभियन्ता के पत्र संख्या–हिमुडा/डी0डी0/सी0बी/डब्ल्यू–7/2007–7215–22 दिनांक 20.02.2008 द्वारा ₹6,96,61,036/–के लिए कार्य समापन अवधि 2 वर्ष से साथ मैं अलोक विर्ल्डस के पक्ष में किया गया। इस कार्य के समस्त कार्य बिलों (कार्य आबंटन से मार्च 2010 तक) का विस्तरित अंकेक्षण किया गया जिसमें निम्न आपत्तियां पाई गई :–

¼d½ dk;Z enks dh foHkkxh; tLVhfQds'ku dh nj ls mPp njks ij dk;Z vkcaVu ls lafonkdkj dks ₹23]77]602@& dk vuqfpr ykHk %&

कार्य के टैण्डर केस की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य की निम्न मदों को संविदाकार को विभागीय जस्टीफिकेषन की दरों से अत्याधिक उच्च दरों पर बिना नैगोशिऐषन किए ही आबंटित किया गया।

Ø0 l0 o en l0	dk;Z en dk laf{kIr fooj.k	dk;Z dh ek=k	foHkkxh; tLVhfQds'ku ds vuqlkj nj	jkf'k	vkcafVr nj	jkf'k	foHkkxh; nj ls ftruh % Åij dk;Z vkcafVr fd;k x;k
1 1	कटिंग इन अर्थ वर्क	12429.30 घन मी0	93.35	1160275	140	1740102	49.97%
2 11(सी)	पी/एल0 आर सी सी (एम20)	68.67 घन मी0	2841.85	195150	3200	219744	12%
3 12	पी/एल0 आर सी सी (एम 20) इन छजा	24.02 घन मी0	6953.35	167019	8000	192160	15.05%
4 27	पी0एफ, 40 एम एफ शटर	1179.78 वर्ग मी0	881.10	1039504	1600	1887648	81.59%
5 30	पी/एफ 200 एम एम चौडा 19 एम एम मोटा ब्लैक बोर्ड	138.55 मी0	247	34222	350	48493	41.70%

	पालमेट						
6 31	पी/एफ 19 एम एम मोटा ब्लैक बोर्ड शटर	80 वर्ग मी0	530.85	42468	750	60000	41.28%
7 32	पी/एफ0 19 एम एम ब्लैक बोर्ड सैल्फ	115.10 वर्ग मी0	562.95	64796	800	92080	42.10%
8 37(ए)	पी/एफ0 एलुमिनियम हैण्डल 125 एम एम	380 नं0	25.35	13433	45 (एन.आर)	17100	77.51%
9 37(बी)	उपरोक्त 100 एमएम	2361 नं0	24.05	56782	40 (एन.आर)	94440	66.32%
10 40(ए)	पी/एफ ब्रॉस टाबर बोल्ट 250x10	16 नं0	96.65	1546	150 (एन.आर)	2400	55.19%
11 40(बी)	पी/एफ ब्रॉस टाबर बोल्ट 150x10	40 नं0	83.65	3346	125 (एन.आर)	5000	49.43%
12 14(ए)	पी/एफ, ब्रास हैण्डल 125 एम0एम	36 नं0	48.20	1735	100 (एन.आर)	3600	107.46%
13 41(बी)	पी/एफ, ब्रास हैण्डल 100 एम0एम	40 नं0	48	1920	80 (एन.आर)	3200	66.66%
14 43	पी/एफ ब्रांस डोर (स्टैप्लस)	168 नं0	95.10	6467	140 (एन.आर)	9520	47.21%
15 45	पी/एफ हीप एण्ड सटैप्लस	30 नं0	47.70	1431	75 (एन.आर)	2250	57.23%
16 50	पी/एल इन्टर लौकिंग ब्लाक्स	57.60 वर्ग मी0	532.20	30655	800 (एन.आर)	46080	50.31%
17 55	पी/एल ग्रेनाईट फलोरिंग	37.38 वर्ग मी0	2486.50	92945	3100	115878	24.67%
18 72	6 एम.एम. सी.पी.सी. एम 1:3	7355.50 वर्ग मी0	43.75	321803	60	441330	37.14%
19 73	15 एम.एम. सीमेन्ट प्लास्टर 1:6	693944 वर्ग मी0	61.55	427123	75	520458	21.85%

20 78	सै0 फेस स्प्रे प्लास्टर	5225.27 वर्ग मी0	257.05	1343156	450	2351372	75.06%
21 80(बी)	एस/एफ फोस्टेटिड ग्लास 40 एम.एम मोटाई	42.44 वर्ग मी0	332.30	14103	420	17825	26.39%
	ifjf'k"V ¼c½						
1 2	पी/एल.जी.एम.एस टयूब 32 एम.एम	120.50 मी0	203.10	24474	250	30125	23.09%
2 4	पी/एफ पोलीथिन वाटर स्टोरेज टैंक	10 नं0	4500	45000	5500	55000	22.22%
3 15	पी/एफ 32 एम.एम. जी.आई वेस्ट पाईप	11.20 मी0	182.60	2045	250	2800	36.91%
4 29	पी/एफ 600x120 एम.एम. ग्लास सैलफ	17 नं0	222.80	3788	300 (एन.आर)	5100	34.64%
5 31	पी/एफ सी.पी. ब्रांस शाप डिस	17 नं0	154.64	2628	200 (एन.आर)	3400	29.36%
6 33	पी/एफ विट्रीयस चायना डिवीजन प्लेट	23 नं0	449.70	10343	650 (एन.आर)	14950	44.54%
7 34	पी/एफ सी0पी0 ब्रास विव टैप	37 नं0	272.10	10068	400	14800	47%
8 35	पी/एफ सी0पी0 ब्रास पिलर टेप	17 नं0	296.40	5039	400	6800	34.95%
9 38(i)	पी/एफ ब्रास फुल वे वाल्व 15 एम.एम	9 नं0	203.10	1828	300	2700	47.71%
10 38(i)	पी/एफ ब्रास फुल वे वाल्व 20 एम.एम	23 नं0	237.60	5465	350	8050	43.30%
11 38(iii)	पी/एफ ब्रास फुल वे वाल्व 25 एम.एम	2 नं0	312.90	626	450	900	43.81%

12 38(iv)	पी/एफ ब्रास फुल वे वाल्व 32 एम.एम	3 नं0	462.40	1387	600	1800	29.75%
13 44	एक्स्ट्रा ओवर आईटम नं0 43	1.20 मी0	240.95	2891	350 (एन.आर)	4200	45.25%
14 46	पी/एल सी.सी. 1:5:10	23.02 घन मी0	87.80	2021	120 (एन.आर)	2762	36.67%
15 47	सी/ओ ब्रिक मैषनरी चैम्बर	7 नं0	2563	17941	3500 (एन.आर)	24500	36.55%
			;kx	5155423		8048567	

अतः उपरोक्त कार्य मदों के लिए विभागीय जस्टीफिकेषन 5155423/—बनती थी। सी0पी0डब्ल्यू0डी मैनुअल के पैरा 18.4.3.3 के अनुसार "Where the tems included in the tender are available in the current schedule of rates, the amount of tender to be recepted does not exeeds by more than 50% of the amount worked out on the basis of current schedule of rates (+) enhancement (decrease) on account of relavent cost index authorized by the chef engineer CPWD Excess beyond 5% upto 10% only, may be permitted with the prior approval of the next authority." उपरोक्त टैण्डर हिमुडा के सी0ई0ओ0 कम सैक्टरी द्वारा उनके पत्र संख्या हिमुडा (डी0वी0) (पोलटैक्निक कॉलेज चम्बा/07 खण्ड–II दिनांक 06.02.2008 को स्वीकृत किया गया। उपरोक्त मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार विभागीय जस्टीफिकेषन के ऊपर केवल 10% तक ही दरों को स्वीकृत किया जा सकता था तथा इस स्वीकृति से पूर्व हायर अथोर्टी (बोर्ड ऑफ डायरैक्टर) की स्वीकृति अपेक्षित थी। विभागीय जस्टीफिकेषन से 10% उपर तक टैण्डर की राशि की ही स्वीकृति दी जा सकती थी। लेकिन उक्त कार्य में उपरोक्त मदों की दरों की नैगोसिएषन अपेक्षित थी जो या तो नहीं की गई या फिर न के बराबर ही की गई। इस प्रकार कुल राशि ₹2377602/—के कार्य का आबंटन नियमों के विरूद्ध करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(i)	विभागीय जस्टीफिकेषन के अनुसार राशि	51,55,423/—
(ii)	नियमानुसार आबंटन योग्य राशि 10% उपर	5,15,542/—
(iii)	वास्तविक आबंटित राशि	56,70,965/—
(iv)	अनुचित लाभ की राषि	(—) 80,48,567/—
		23]77]602@&

अतः यह प्रकरण हिमुडा प्रबन्धन हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में उक्त प्रकरणों पर पूर्ण रोक लगाई जा सके।

¼[k½ ₹4]78]647@&dh Vkj LVhy dh de olwyh djuk ¼&

उपरोक्त कार्य के 18 चलित बिल तक प्रयोग की गई टौर स्टील की मात्रा मापन पुस्तिका संख्या 1500/08 के पृष्ठ 42 के अनुसार 269139 मिट्रीक टन थी तथा इतनी ही मात्रा का भुगतान/मापन किया गया था चूंकि स्टील उपमण्डल के स्टोर से ₹35,500/—प्रति मि0टन की दर से जारी किया गया था इस लिए उपरोक्त मात्रा में से 269.112 मि0टन की वसूली ₹35,500/—प्रति मि0टन की दर से की गई थी। अनुबन्ध की कलॉज 42 के अनुसार यह वसूली वास्तव में मापी गई कार्य मात्रा जो 18 बिल तक 282595 मि0टन (269.139 मि0टन x 50 बेस्टेज) बनती है अपेक्षित थी लेकिन 18 में चलित बिल तक स्टील की वसूली केवल 269.112 मि0टन के लिए ही की गई। अतः संविदाकार से राशि ₹4,78,647/—(282.595 मि0टन — 269.112 मि0टन) x ₹35,500/—प्रति मि0टन) की वसूली कम की गई। अतः संविदाकार से ₹4,78,647/—की वसूली करने के साथ पूर्व में इस राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए। भविष्य में नियमानुसार ही स्टील की वास्तविक खप्त की वसूली करना भी सुनिष्चित किया जाए।

¼x½ vuqcU/k dh /kkjk 10 lh0lh0 ds nkoksa dh jkf'k ₹186572@&dk vf/kd Hkqxrku djuk ¼&

(1) वाऊचर संख्या 39 माह 9/09 राशि ₹1634735/—

(2) वाऊचर संख्या 28 माह 3/09 राशि ₹1855221/—

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा संविदाकार मैं0 अलोक विल्र्डस को कार्य (मिलेनियम पोलटैक्निक महाविद्यालय चम्बा के निर्माण) के 10 सी0सी0 के दावों का भुगतान किया गया। अनुबन्ध की धारा 10 सी0सी0 के दावों की जाँच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई जिनके फलस्वरूप दावे की राशि में ₹186572/—की राशि के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आए।

(1) दावों की तिमाही अवधि 12/2008 से 2/2009 के दौरान करवाए गए कार्य को इस दावे की गणना के लिए अगली तिमाही (3/09 से 5/09) के दौरान लिया गया। अवधि 12/2008 से 2/2009 के दौरान करवाए गए कार्य की कुल राशि ₹2355689/—थी तथा तिमाही 3/09 से 5/09 के लिए प्राईस इन्डीसीज़ पिछली तिमाही (12/08 से 2/09) के लिए कम थे। अतः पिछली तिमाही के दौरान करवाए गए कार्य को 10 सी0सी0 की गणना के लिए अगली तिमाही के लिए ले जाने व उच्च प्राईस इन्डीसीज लगाने से संविदाकार दावे की राशि का अधिक भुगतान किया गया।

(2) दावे की तिमाही अवधि 3/2009 से 5/2009 के दौरान गणना हेतु किए गए कार्य के मूल्य की राशि ₹2647281/–जो कि वास्तव में पिछली तिमाही से सम्बन्धित (8वां चलित बिल, बिल का मूल्यांकन, दिनांक 24.02.09 को किया गया था) थी में पूर्व में दत 10 सी0सी0 के दावे की राशि ₹291592/–पर दोबारा 10 सी0सी0 का के दावे के भुगतान से संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया।

(3) कार्य अनुबन्ध की धारा 10 सी0सी0 के पैरा 7(बी) जो निम्न प्रकार से है। "The Excalation for labour also shall be paid at the same quarterly intervals when excalation due to increase in cost of material and/or P.O.L is paid under this clause if such revision of minimum wages takes place during any such quarterly intervals, the escalation compensation shall be pay able for the work done in all quarters subsequente to the quarter in which the revision takes place."

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(पी0आर0) बी(7)–15/98–III, दिनांक 30.1. 2009 द्वारा मजदूरों की दैनिक ₹100/–प्रति दिन से बढ़ा कर ₹110/–मार्च 2009 से की गई थी उपरोक्त पैरा 7(बी) के प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई दैनिक मजदूरी के लिए लेबर एषकेलेषन तिमाही 5/2009 से 7/2009 के दौरान किए गए कार्य के लिए ही देय थी लेकिन लेबर एषकेलेषन की गणना के लिए लेकर इन्डीसीज ₹110/–की दर से मार्च 2009 से ही लगा दिया गया। इस प्रकार संविदाकार को धारा 10 सी0सी के दावे का अधिक भुगतान किया गया।

अतः उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अगर संविदाकार के धारा 10 सी0सी0 के दावे की जाँच पड़ताल की गई होती तो संविदाकार को तिमाही 3/2008 से 5/08 व तिमाही 6/09 से 8/09 के दौरान किए गए कार्य के लिए 10 सी0सी0 के दावे की राशि ₹1739755/–देय बनती थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के संलग्न परिशिष्ट ''च'' में दर्षाया गया है लेकिन संविदाकार को 10सी0सी0 के दावे की देय राशि ₹1739755/–के स्थान पर राशि ₹1926327/–का भुगतान (वाऊचर संख्या 39 माह 9/09 राशि ₹1634735/–का वाऊचर संख्या 28 माह 3/2009 राशि ₹291592/–) किया गया। इस प्रकार संविदाकार को 10 सी0सी0 के दावे की राशि ₹186572/–(1926327–1739755) का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

¼?k½ feyfu;e ikyVsfDud egkfo|ky; pEck dks dk;Z dk vkBok o 12ok pfyr fcy dk nkSjku lheasV dh 155 ckjh dh ₹216@&izfr cSx dh nj ls jkf'k ₹33480@&de olwyh djuk ½&

मिलेनियम पोलटैक्निक महाविद्यालय चम्बा के कार्य के आठवें व 12वें चलित बिल के दौरान सीमेन्ट की वसूली की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार इन बिलों के दौरान 155 सीमेन्ट की बोरियों की वसूली कम की गई थी।

Øekad	fcy la[;k eki iqfLrdk la[;k	olwy dh xbZ lheUV ckfj;ksa dh la[;k	lheUV dh ckfj;ksa dh vis{kr olwyh	vUrj	fVIi.kh
1	आठवां 1470 पृष्ठ 15 से 35 तक	1320	1340	20	आठवें चलित बिल तक सीमेन्ट की खपत 14320 बोरी थी तथा सातवें चलित बल तक (माप पुस्तिका सं0 1463 के पृष्ठ 57) 12980 बोरी की वसूली की गई थी अतः 8वें बिल के दौरान 1340 बोरी सीमेन्ट की वसूली अपेक्षित थी।
2	12वें 1470 के पृष्ठ 61	1250	1385	135	बारहवें चलित बिल तक सीमेन्ट की कुल खपत 19050 सीमेन्ट बोरी थी तथा ग्यारहवें चलित बिल तक (माप पुस्तिका संख्या 1493 के पृष्ट 25 के अनुसार) केवल 17665 सीमेन्ट की बोरी की वसूली की गई थी। अतः 12वें चलित बिल के दौरान 1385 सीमेन्ट बोरी (19050 सीमेन्ट बोरी–17665 सीमेन्ट बोरी) की वसूली अपेक्षित थी।
		;ksx	155 lheUV ckjh		

अतः संविदाकार से आठवें व 12वें चलित बिलों के दौरान कुल 155 सीमेन्ट बोरी की दर ₹216/–प्रति बोरी से राशि ₹33480/–की कम वसूली की गई। अतः कम वसूल की गई राशि ₹33480/–की वसूली सुनिष्चित की जाए।

¼3½ QkEkZ odZ o vkj0lh0lh0 dk dk;Z dkyeksa dh [kqnkbZ ds vuq:i u gksus ls lafonkdkj dks ₹23019@&dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku djuk ¼&

मिलेनियम पोलटेक्निक महाविद्यालय चम्बा के कार्य के तीसरे चलित बिल में अनुबन्ध मद संख्या 2 (एक्सकेवेषन) इन फाऊंडेषन एवं टैंचिज) की कार्य मात्रा 2166.19 घन मी0 का भुगतान ₹110/–प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1463/07 के पृष्ठ–3 के द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 1423/07 के पृष्ठ 32 व 33 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि (इन्स्टीटयूट ब्लाक के कॉलमों बी$_5$ बी$_7$ बी$_{10}$, आई$_5$ आई$_7$ आई$_{10}$ (6 नं0) के लिए अतिरिक्त गहराई के लिए कार्य मात्रा का मापन इस प्रकार किया गया था :–

6x3.85x3.00x0.45 M=31.18 घन मी0 लेकिन इन कॉलमों के लिए खुदाई का कार्य जोकि 1.80 मी0 की गहराई तक किया गया था का मापन, मापन पुस्तिका संख्या 1318/06 के पृष्ठ 27 पर इस पर दर्ज था :– 6x2.85x3.00x1.80=92.34 घन मी0

उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों में इन कॉलमों की लम्बाई के अन्तर के कारण संविदाकारों को एकसकेवेषन इन फाऊंडेषन एण्ड टैचिंज की कार्य मात्रा 8.09 घन मी0 का निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया क्योंकि अतिरिक्त गहराई की खुदाई के समय कॉलम की लम्बाई, पूर्व खुदाई के दौरान ली गई लम्बाई से अधिक नहीं हो सकती। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई राशि ₹1328/– (8.09 घन मी0 x ₹110/–प्रति घन मी0) की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

अतिरिक्त गहराई के लिए खुदाई के कार्य की मात्रा 6x2.85x3.00x0.45=23.09 घन मी0

वास्तव में भुगतान की गई मात्रा =31.18 घन0 मी0

अधिक भुगतान की गई मात्रा = 8.09 घन0मी0

उपरोक्त कॉलमों की अपेक्षित खुदाई के आधार पर कार्य अनुबन्ध की मदों पी/एल सी0सी0 1:4:8, फार्म वर्क इन फाऊंडेषन ऑफ कॉलम व आर0सी0सी0 1:2:4 की मात्राओं का भी वास्तविक देय मात्रा से अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

Ø0 l0	dk;l en dk uke lf{kIr fooj.k	dkyek dh vif{kr [knkbl dk vu:i dk;l en dk ekiu	n; ek=k	nr ek=k	vUrj	nj	jkf'k
1	पी/एल सी. सी. 1:4:8	6x2.85x3.00x.15	7.70	10.39 (मापन पुस्तिका सं0 1423/07 पृ0 34)	2.69	1800	4842/–
2	फोर्म वर्क फाऊंडेषन एवं फूटिंग	6x2(2.70+2.85)x0.20	13.32	15.72 (मापन पुस्तिका सं0 1423 के पृ0	2.40	100	240/–

	कॉलम			35)			
3	आर.सी.सी. कॉलमों की फूटिंग में	6x2.70x2.85x0.20	9.23	12.65	3.42	2950	10089/-
		$6x.\frac{35}{3}(7.70+0.46+\sqrt{7.70x0.46})$	7.03	9.24 उपरोक्त (मापन पुस्तिका के पृ0 38)	2.21	2950	6520/-
							21691@&

अतः उपरोक्त वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि ₹21691/-की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

¼p½ ycj lSl dh jkf'k ₹20]880@&dh olwyh u djuk ½&

मिलेनियम पोलटैक्निक महाविद्यालय चम्बा के 15वें चलित बिल के दौरान देय वसूलियों की जाँच करने पर पाया गया कि इस बिल में किए गए कार्य ₹2088048/-पर देय लेवर सैस की वसूली एक प्रतिषत की दर से देय थी लेकिन इस बिल की देय राशि में से लेबर सैस की राशि ₹20880/-(2088048x1%) की वसूली नहीं की गई। अतः लेबर सैस की देय राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि ₹20880 की वसूली संविदाकार से करना सुनिष्चित किया जाए।

¼N½ fcd odZ dh x.kuk ds fy, fnokjksa dh l[;k okLrfod ls vf/kd yus o f[kMfd;ksa ds {ks=Qy dh de dVkSrh ds dkj.k lafonkdkj dks ₹18792@&dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku djuk ½&

मिलेनियम पोलटैक्निक कॉलेज चम्बा के कार्य के पांचवें चलित बिल में कार्य अनुबन्ध मद संख्या 18(ब्रिक वर्क, सीमेन्ट मोटर 1:6) की कुल मात्रा 295.81 घन मी0 का भुगतान ₹2950/-की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1463 के पृष्ठ 36 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1466/07 के पृष्ठ 14 से 19 तक पर दर्ज की गई थी जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि एडमन ब्लाक के प्रथम तल की कॉलमों ए$_3$ से ए$_5$, ए$_6$ से ए$_{10}$, एफ$_3$ से एफ$_5$, एफ$_6$ से एफ$_{10}$ के बीच की लम्बी दिवारों के लिए ब्रिक वर्क का मापन 2x7x3.22x0.23x2.40=24.88 घन मी0

के लिए किया गया जबकि उपरोक्त कॉलमों ए$_{3}$ से ए$_{5}$ = 2 दिवारें, ए$_{6}$ से ए$_{10}$ = 4 दिवारें, एफ$_{3}$ से एफ$_{5}$ = 2 दिवारें, एफ$_{6}$ से एफ$_{10}$ = 4 दिवारें, यानि कुल 12 दिवारें ही बनती हैं जिनके लिए ब्रिक वर्क की कुल कार्य मात्रा 12x3.22x0.23x2.40=21.33 घन मी0 बनती है। इस प्रकार संविदाकार को मात्रा 3.55 घन मी0 का अधिक भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त इसी कार्य मद की मात्रा में 160.55 घन मी0 की कार्य मात्रा भी सम्मलित थी जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1466/07 के पृष्ठ 20 से 22 पर दर्ज थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन्स्टीटयूषन ब्लॉक में 2.55 मी0 x2.40 मी0 के आकार की 4 खिडकियाँ लगाई गई लेकिन ब्रिक वर्क के मापन के समय केवल 2 नं0 खिडकियों के क्षेत्रफल को ही कम किया गया। इस प्रकार 2 नं0 खिड़कियों के क्षेत्रफल के बराबर ब्रिक वर्क जो 2x2.55x0.23x2.40=2.82 घन मी0 बनता है की कटौती कम करने के कारण संविदाकार को ब्रिक वर्क की मात्रा 2.82 घन मी0 का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ब्रिक वर्क की कुल मात्रा 6.37 घन मी0 (3.55 घन मी0 + 2.82 घन मी) का ₹2950/–प्रति घन मी0 की दर से राशि ₹18792/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹18792/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

¼t½ <u>dfVax bu vFkZ odZ dh dk;Z dh xyr x.kuk ls lafonkdkj dks ₹2898@&dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku djuk</u> ½&

मिलेनियम पोलटैक्निक महाविद्यालय चम्बा के कार्य के प्रथम चलित बिल जो मापन पुस्तिका सं0 1423/07 के पृष्ठ 17 से 21 पर दर्ज था, की अनुबन्ध मद संख्या 1 (कटिंग इन अर्थ वर्क) की कार्य मात्रा 11818.80 घन मी0 का भुगतान ₹138/–प्रोविजनल दर से मापन पुस्तिका संख्या 1423/07 के पृष्ठ 18 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 16 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर.डी. 0/60 पर काटे गए क्रॉस शैकषन का क्षेत्रफल 42.52 वर्ग मी0 लिया गया जबकि वास्तव मे यह क्षेत्रफल 40.42 वर्ग मी0 बनता है। इस प्रकार आर0डी0 0/50 से आर0डी0 0/60 व आर0डी0 0/60 से 0/70 के बीच का कटिंग की मात्रा 21.00 घन मी0 दर ₹138/–प्रति घन मी0 से राशि ₹2898/–का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई मात्रा 21.00 घन मी0 का विवरण निम्न प्रकार है।

vkj- Mh-	Økl lsD'ku dk {k=Qy	vkSlr {k=Qy	yEckbZ	nh; ek=k ?ku eh0	nr ek=k ?ku eh0	vUrj ?ku eh0
0/50	76.59	–	–	–	–	–
0/60	40.92	$\frac{76.59+40.42}{2}$	10	585.05	595.55	10.5
0/70	34.30	<u>40.42+34.30</u>	10	373.60	384.10	10.5

2

21-00

अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹2898 ⁄ –की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

¼>½ vkj-lh-lh- dk dk;Z Qkje odZ dh vuq:i u gksus ls lafonkdkj dks ₹1328@&dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

मिलेनियम पोलटैक्निक महाविद्यालय के कार्य के द्वितीय चलित बिल मे अनुबन्ध मद संख्या 11(ए)(पी ⁄ एल आर0सी0सी0 एम20 कॉलमों की फाऊंडेषन व फुटिंग) के कार्य की मात्रा 48.44 घन मी0 का भुगतान ₹2950 ⁄ –प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1427 ⁄ 07 के पृष्ठ संख्या 25 द्वारा किया गयां इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 1317 ⁄ 06 के पृष्ठ 39 से 41 तक दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि कॉलमों ए$_{12}$, बी$_{11}$, सी$_{6}$, सी$_{10}$, डी$_{3}$, डी$_{6}$, डी$_{10}$, डी$_{11}$, डी$_{13}$, ई$_{13}$ (10 नं0 कॉलम) की फाऊंडेषन व फूटिंग में आर.सी.सी. की गणना 8.37 घन मी0 के लिए निम्न प्रकार की गई थी :–

$10x1.65x1.87x0.20$ =6.17 घन मी0

$10x\frac{0.15}{3}(3.08+0.34+\sqrt{3.08x0.34})$ =2.20 घन मी0

8.37 घन मी0

लेकिन इन कॉलमों के लिए किए गए फोर्म वर्क जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका 1318 ⁄ 06 के पृष्ठ 18 पर निम्न प्रकार दर्ज थी :–

$10x2(1.55+1.87)x0.20 = 13.68$ वर्ग मी0

उपरोक्त फौर्म वर्क के अनुसार आर.सी.सी. के कार्य का मापन व भुगतान निम्न प्रकार अपेक्षित था :–

$10x1.55x1.87x0.20$ =5.80 घन मी0

$10x\frac{0.15}{3}(2.90+0.34+\sqrt{2.90x0.34})$ =2.12 घन मी0

7.92 घन मी0

अतः आर.सी.सी. की देय कार्य मात्रा 792 घन मी0 के स्थान पर संविदाकार को 8.37 घन मी0 की आर.सी.सी. की मात्रा का भुगतान किया गया जो कि 0.45 घन मी0 अधिक था। इस प्रकार संविदाकार को राशि ₹1328 ⁄ – (0.45 घन मी0 x ₹2950 ⁄ –प्रति घन मी0) का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि ₹1328 ⁄ –की वसूली संविदाकार से करना सुनिष्चित किया जाए।

12 vfrfjDr dk;Z enks dh xyr nj fu/kkj.k ls lafonkdkj dks ₹3]234@&dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

okÅpj l[;k 117] ekl 3@2010] jkf'k ₹8]36]553@&

इस वाऊचर द्वारा राशि ₹8,36,553/-का भुगतान श्री पंकज महाजन को कार्य (Integrated development of chamba tourist circuil S.H. Development of changan No.I) के नौवें व अन्तिम बिलके लिए किया गया। इस बिल के दौरान किए गए कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 1355/06 के पृष्ठ 87 से 96 तक दर्ज किया गया था जिसका अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अतिरिक्त कार्य मद (एक्सकेवेषन इन अर्थ वर्क (स्पेड़ व पिक वर्क) की कार्य मात्रा 5473.04 घन मी0 थी का भुगतान ₹229.80 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1355/06 के पृष्ठ 91 द्वारा किया गया। इस कार्य मद की दर निर्धारण की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि दर का निर्धारण हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1999 की दर + संविदाकार का ओवर ऑल प्रिमियम जोकि 73.86% उपर था, के अनुसार किया गया जबकि कार्य अनुबन्ध में समान श्रेणी की निम्न कार्य मदें समलित थी जिनके लिए संविदाकार ने उनके सामने दर्षाई गई दरें भरी थी। इस प्रकार समान कार्य के लिए संविदाकार द्वारा भरी गई दरों के प्रतिषत 47.52 बनता है।

Øe l[;k	leku J.kh dk dk;l en dk lf{kIr fooj.k	,p0ih0,l0vkj0 1999 dh vuqlkj nj	lfonkdkj }kjk Hkjh xbZ nj
1	कटिंग इन अर्थ वर्क	59.55	90.00
2	एक्साकेवेषन इन अर्थ वर्क	69.25	100.00
	dqy	128-80	190-00

ifr'krrk ¾ $\frac{190\&128\text{-}80}{128.80}$ **x100=47.52%**

इस प्रकार अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण समान श्रेणी के कार्य की प्रतिषतता के आधार पर ₹196.30/-प्रति घन मी0 अपेक्षित था।

अतिरिक्त कार्य मद एक्सकेवेषन इन अर्थ वर्क एण्ड बैंकिंग इन 20 सी0एम लेयर, स्पेड व पिक वर्क की एच0पी0एस0आर. 1999 के मुताबिक दर = ₹37.15/-

(+) एक्स्ट्रा कैरीज 5 कि0मी0 तक = ₹95.91/-

योग = ₹133.06/-

(+) संविदाकार का समान श्रेणी के कार्य की प्रतिषतता

जो 47.52% (+) ₹63.23/-

₹196.29/-

या ₹196.30/-प्रति घन मी0

लेकिन संविदाकार को उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मद के लिए 229.80 प्रति घन मी0 की दर से मात्रा 5473.04 घन मी0 का भुगतान किया गया।

अतः संविदाकार को ₹183347/– (5473.04 घन मी0) x (₹229.80–₹196.30) का अधिक भुगतान किया गया। इसलिए अधिक भुगतान की गई राशि ₹1,83,347/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ <u>okÅpj l¡[;k 225] ekg 3@2010] jkf'k ₹9]19]785@&</u>

उक्त वाऊचर द्वारा राशि ₹9,19,785/–का भुगतान श्री के0एन0 शर्मा संविदाकार को कार्य (आई0टी0आई के भवन निर्माण गढ़ जमूला त0 पालमपुर अनुबन्ध संख्या 41 वर्ष 2009–10) के प्रथम चलित बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए किया गया। कार्य का आबंटन, अधिषाषी अभियन्ता द्वारा कुल राशि ₹2,90,86,856/–के लिए 18 मास की कार्य समापन सीमा के साथ किया गया था। जिसमें परिशिष्ट (ए) की राशि ₹2,87,60,959/–जो डी0एन0ओ0ओ की राशि से 64.34% उपर थी व परिशिष्ट वी की राशि ₹325897/–जो डी0एन0आई0टी0 की राशि से 279.71% उपर थी सम्मिलत थी। प्रथम चलित बिल की जाँच करने पर पाया गया कि अतिरिक्त कार्य मद (कटिंग इन अर्थ वर्क की कुल मात्रा का भुगतान निम्न प्रकार किया गया :–

Øe l¡[;k	dk;l en dk uke	ek=k	nj
1	कटिंग इन अर्थ वर्क एण्ड डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटड अर्थ अप टू 20 मीटर लीड़	8757.60 घन मी0	51.45 (पी0आर) 68.60 (एफ0आर)
2	एक्स्ट्रा लीड़ अर्थ वर्क वाई मकैनीकल ट्रांसपोर्ट अप टू एक किलोमीटर	5909.40	79.40 (पी0आर) 105.90 (एफ0आर)

उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मद की दरों के निर्धारण की जाँच के दौरान पाया गया कि इन दरों का निर्धारण, कार्य ''कटिंग इन अर्थ वर्क) के लिए, संविदाकार द्वारा समान श्रेणी के कार्य के लिए अनुबन्ध में भरी गई दरों के आधार पर किया गया था लेकिन अतिरिक्त मद के भाग–II (एक्स्ट्रा लीड़ मकैनीकल ट्रांसपोर्ट एक किलोमीटर की दर का निर्धारण कार्य के परिशिष्ट ''ए'' की प्रतिषतता जो 64.34 प्रतिषत थी के अनुसार किया गया। जबकि उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मद की दरों का निर्धारण एच0पी0एस0आर 1999 द्वारा कार्य के लिए निर्धारित दर + समान श्रेणी के कार्य के लिए संविदाकार द्वारा अनुबन्ध में भरी दर की प्रतिषतता के अनुसार होना अपेक्षित था। कार्य अनुबन्ध की धारा 12(2) के अनुसार इस कार्य मद की दर का निर्धारण निम्न प्रकार अपेक्षित था :–

(1)	समान श्रेणी के कार्य के लिए संविदाकार की प्रतिषतता	
	समान श्रेणी के कार्य मद (एक स्केवेषन इन अर्थ वर्क अप टू ऑल लीड़ एवं लिफट) के लिए संविदाकार की दर	₹107.00 प्रति घन मी0
	उपरोक्त कार्य के लिए डी0एन0आई0टी की दर	₹92.85 प्रति घन मी0
	समान श्रेणी के कार्य के लिए संविदाकार द्वारा भरी गई दर के अनुसार प्रतिषतता	₹107-₹92.85x100=15.24% 92.85
	अतिरिक्त कार्य मद (भाग II) एक्स्ट्रा लीड़ आफ अर्थ वर्क अप टू एक किलोमीटर के लिए एच0पी0एस0आर 1999 के अनुसार दर	₹64.44 प्रति घन मी0
	(+) समान श्रेणी के लिए संविदाकार की प्रतिषतता (15.24%)	₹9.82 प्रति घन मी0
	d|y	74-26 i:fr ?ku eh0
		;k 74-25 i:fr ?ku eh0
	ikfo tuy nj ¾ ₹74-25 x 75% ¾ ₹55-68	;k ₹55-70 i:fr ?ku eh0

इस प्रकार संविदाकार को कार्य मात्रा 5909.40 घन मी0 के लिए ₹55.70/–प्रति घन मी0 की दर से देय राशि ₹3,29,154/–के विरूद्ध ₹4,69,206/– (5909.40 घन मी0 x ₹79.40/–) का भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को ₹1,40,052(469206–329154) का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि ₹1,40,052/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

13 lheUV dØhV d| dk;l dk ekiu Qkel odl d| vu|:i u gku| f[kMfd;k| d| 'kVj d| xyr ekiu o vfrfjDr dk;l enk| d| xyr nj fu/kkj.k l| lfonkdkj dk| ₹65]147@&dk vf/kd Hk|xrku %&

okÅpj l|[;k 121] ekg 3@10] jkf'k ₹7]54]349@&

इस वाऊचर से ₹7,54,349/–का भुगतान श्री अषोक कुमार को कार्य (वा0मा0पाठषाला पयसा में 2 कमरों के निर्माण) के प्रथम चलित बिल के लिए किया गया। इस चलित बिल में किए गए कार्य के मूल्य का आंकलन मापन पुस्तिका संख्या 1247/04 के पृष्ठ 93 से 99 तक किया गया था। इस बिल के अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियों को पाया गया।

(क) अनुबन्ध मद संख्या 2(सी)(P/L RCC 1:2:4 in stair case) की कार्य मात्रा 1.93 घन मी0 का भुगतान ₹2800/–प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1247 के पृष्ठ 95 पर किया गयां

कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 84 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्य मात्रा की गणना निम्न प्रकार की गई थी :–

2x3.65x1.25x0.15=1.37 घन मी0

$20 \times 1.25 \times \frac{0.15 \times 0.30}{2}$=0.56 घन मी0

=1.93 घन मी0

उपरोक्त आर0सी0सी0 कार्य के लिए फोर्म वर्क के कार्य, कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्या 1247/04 के पृष्ठ 83 पर निम्न प्रकार दर्ज थी :–

2x3.65x1.20=8.76 वर्ग मी0

20x1.00x0.15=3.00 वर्ग मी0

2x3.65x0.30=2.19 वर्ग मी0

अतः आर0सी0सी0 के कार्य का मापन उपरोक्त फोर्म वर्क के अनुसार निम्न प्रकार किया जाना अपेक्षित था :– 2x3.65x1.00x0.15 =1.10 घन मी0

$20 \times 1.00 \times \frac{0.15 \times 0.30}{2}$=0.45 घन मी0

=1.55 घन मी0

अतः संविदाकार को आर0सी0सी0 की कार्य मात्रा 1.55 घन मी0 के स्थान पर 1.93 घन मी0 का भुगतान कर दिया गया जोकि 0.38 घन मी0 अधिक था इस लिए अधिक भुगतान की गई कार्य मात्रा 0.38 घन मी0 दर ₹2800/–प्रति घन मी0 से राशि ₹1064/–की वसूली सुनिष्चित की जाए।

(ख) अनुबन्ध संख्या 9 (P/F 40mm Thick shutters) की मात्रा 33.76 वर्ग मी0 का भुगतान ₹2000/–प्रति वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1247/04 के पृष्ठ 97 द्वारा किया गया। इस मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां निम्न विवरणानुसार इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 86 पर दर्ज की गई थी।

Window ventilator = 11x3x0.54x0.695=12.38 वर्ग मी0

जबकि वैन्टीलेटर में शटर के लिए उपलब्ध ऊंचाई केवल 0.665 मी0 (2.00–1.20–(3x0.045)) इस प्रकार विन्डो वैन्टीलेटर में शटर के कार्य का मापन

11x3x0.54x0.665=11.85 वर्ग मी0 के लिए होना अपेक्षित था लेकिन 11.85 वर्ग मी0 के स्थान पर 12.38 वर्ग मी0 के भुगतान से मात्रा 0.53 वर्ग मी0 दर ₹2000/–प्रति वर्ग मी0 से राशि ₹1060/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹1060/–की वसूली करना सुनिष्चित करें।

(ग) अतिरिक्त कार्य मद प्रीकास्ट टैरेजो टाईल 20 एम0एम0 मोटाई की कार्य मात्रा 235.67 वर्ग मी0 का भुगतान ₹486/–प्रति वर्ग मी0 (प्रोविजनल दर) से मापन पुस्तिका संख्या 1366 के पृष्ठ 97 द्वारा किया गया। इस कार्य मद की दर का निर्धारण संविदाकार को ओवर ऑल प्रिमीयम 60.84% पर किया गया था जबकि अनुबन्ध की धारा 12(II) के अनुसार इस मद की दर का निर्धारण अपेक्षित थी क्योंकि कार्य अनुबन्ध में अतिरिक्त कार्य मद से सम्बन्धित सामान श्रेणी की निम्न मदें सम्मिलत थी समान श्रेणी की मदों के अनुसार इस अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण निम्न प्रकार ₹297/–(पूर्ण दर) व ₹222.75 (प्रोविजनल दर) होना अपेक्षित था।

(1) अतिरिक्त मद से सम्बन्धित समान श्रेणी की मदों के लिए संविदाकार द्वारा भरी दरों के आधार पर प्रतिषतता।

Ø0 l0	leku J.kh dh enksa dk lf{kIr fooj.k	vuqcU/k ek=k	,p0ih0,l0vkj dh nj	jkf'k	lfonkdkj dh nj	jkf'k
1	40एम.एम. मोटी सी.सी. फलोरिंग 1:2:4	229.51	97	22,262.00	12.00	27,541.00
2	50 एम.एम. सी.सी. फलोरिंग	179.79	113	20,316.00	15	2,697.00
3	20 एम.एम. सी.सी. स्कर्टिंग सी.एम 1:3	17.96	76.20	1,369.00	120	2,156.00
				43]947@&		32]394-00

संविदाकार द्वार समान श्रेणी की मदों के लिए भरी गई दरों की प्रतिषतता	(32394-43947 / 43947) x100=(-) 26.28 %
अतः अतिरिक्त कार्य मद की दर एच0पी0एस0आर 1999 के अनुसार अतिरिक्त कार्य मद की दर	402.90 प्रति वर्ग मी0
संविदाकार का प्रिमीयम (समान श्रेणी की कार्य मदों के लिए) @26.28%	(–) 105.88 प्रति वर्ग मी0
	₹297-02@& ;k ₹297@&

अतः प्रोविजनल दर = 297.02 x 75% = ₹222.75/-

इस प्रकार संविदाकार को अतिरिक्त कार्य मद की मात्रा 235.67 वर्ग मी0 का भुगतान 222.75 प्रति वर्ग मी0 की दर से देय था लेकिन इस मात्रा का भुगतान ₹486/– प्रति वर्ग मी0 की दर से किया गया। अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई राशि ₹62040/– (235.67 वर्ग मी0 x (486–₹222.75/–प्रति वर्ग मी0) की वसूली सुनिष्चित करें।

(घ) अनुबन्ध की मद संख्या 30(20 एम0एम0 मोटाई का 1:6 में सीमेन्ट (प्लास्टर) की कार्य मात्रा 376.14 वर्ग मी0 का भुगतान ₹80/–प्रति वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1247 के पृष्ठ संख्या 100 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ–91 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य मात्रा में 12.29 वर्ग मी0 की कार्य मात्रा निम्न विवरणानुसार छज्जे के प्लासटर से सम्बन्धित थी।

1x2.30x0.45=1.03 वर्ग मी0

3x6.10x0.45=8.23 वर्ग मी0

1x4.80x0.45=2.16 वर्ग मी0

1x1.94x0.45=0.87 वर्ग मी0

12.29 वर्ग मी0

जबकि अनुबन्ध की मद संख्या 3(पी/एल आर.सी.सी इन छज्जा) में 1:3 के प्लास्टर करवाने का प्रावधान है। तथा जिसका मूल्य उपरोक्त मद नं0 3 की दर में सम्मिलत होती है। अतः उपरोक्त कार्य मात्रा 12.29 वर्ग मी. का भुगतान संविदाकार को अलग से देय नही था। अतः संविदाकार को दो बार भुगतान की गई राशि ₹983/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

14 Qkel odl o lh-lh- ds dk;l dk xyr@vf/kd ekiu ls lfonkdkj dk ₹35]335@&dk vf/kd Hkxrku djuk %&

jkdM okÅpj l[;k 211] ekg 3@2010] jkf'k ₹5]01]405@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹5,01,405/–का भुगतान श्री राजेन्दर सिंह परमार को कार्य C/o Rain dranages at Residential complex at Sidhpur Mahli (SH. Prottection work behind block No.12) के द्वितीय चलित बिल के लिए किया गया। इस बिल के दौरान किए गए कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 1351/06 के पृष्ठ संख्या 5 से 11 तक किया गया था। बिल का अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई :–

(क) कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 3(ए)(फौर्म वर्क (स्टील प्लेटस फाऊंडेषन एंव फुटिंग) की कार्य मात्रा 218.40 वर्ग मी0 का भुगतान ₹70/–प्रति वर्ग मी0 की दर से किया गया इस कार्य मात्रा में 90.72 वर्ग मी0 की कार्य मात्रा जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1350/06 के पृष्ठ 41 व 70 पर दर्ज थी, सम्मिलत पाई गई। रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि फोर्म वर्क का कार्य खाई में किया गया था जिसके लिए खुदाई की प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1350/06 के पृष्ठ 41 पर दर्ज थी। खुदाई की प्रविष्टियों को सी.सी. 1:4:8 की प्रविष्टियों के साथ मिलान करने पर पाया गया कि खाई की पूरी चौड़ाइ में सी.सी. 1:4:8 का कार्य किया गया था। इस स्थिति में खाई में फोर्म वर्क का काम करवाना सम्भव नहीं था। इस प्रकार खाई में फोर्म वर्क के कार्य 90.72 वर्ग मी0 के निष्पादन एवं भुगतान का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः इस कार्य के लिए राशि ₹6,350/– (90.72 वर्ग मी0 x ₹70/–प्रति वर्ग मी0) की वसूली की जाए।

(ख) कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 3(बी) (फोर्म वर्क स्टील प्लेट, वर्टीकल सरफेस) की कार्य मात्रा 270.24 वर्ग मी0 का भुगतान ₹75/–प्रति वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1351 पृष्ठ 7 द्वारा किया गयां इस कार्य मात्रा मं 77.76 वर्ग मी0 कार्य मात्रा सम्मिलत थी जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1350/06 के पृष्ठ 71 पर दर्ज थी। इस रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि फोर्म वर्क का कार्य आर0सी0सी0 रिटेनिंग वॉल के लिए किया गया जिसमें सरिये का कार्य सैकिन्ट स्टेज पर 2.20 मी0 की ऊँचाई तक किया गया था। इस प्रकार फोर्म वर्क का कार्य भी दिवार की 2.20 मी0 ऊँचाई तक ही मापा व भुगतान किया जाना अपेक्षित था लेकिन फोर्म वर्क के कार्य का मापन व भुगतान 2.20 मी0 के स्थान पर 2.40 मी0 ऊँचाई तक करके संविदाकार को फोर्म वर्क की कुल कार्य मात्रा 6.48 वर्ग मी0 (2(13.20+3.00)x 0.20 मी0) दर ₹75/–प्रति वर्ग मी0 से राशि ₹486/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹486/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

(ग) अतिरिक्त कार्य मद (P/L R.C.C. 1:1½:3 in retaning wall) की कार्य मात्रा 530.46 घन मी0 का भुगतान ₹2,336/–(P.R) की दर से मापन पुस्तिका सं0 1351 के पृष्ठ–9 द्वारा किया गयां इस कार्य मात्रा में 172.32 घन मी0 की कार्य मात्रा सम्मिलित थी जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका सं0 1350 के पृष्ट 71 पर दर्ज थी। इन रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर0सी0सी0 दिवार में सरिया 2.20 की ऊँचाई तक ही लगाया गया था लेकिन आर0सी0सी0 का मापन 2.40 मी0 ऊँचाई तक किया गया। इस प्रकार आर0सी0सी0 का कार्य का मापन व भुगतान सरिये की ऊँचाई + 2.50 सै0मी0 कवर) के लिए ही अपेक्षित था। इस प्रकार इस रिटेनिंग वॉल में आर0सी0सी0

की कार्य मात्रा 12.20 घन मी0 का निम्न विवरणानुसार ₹2,336/–प्रति घन मी0 की दर से राशि ₹28,499/–का अधिक भुगतान किया गया :–

13.20x3.00(2.40-2.23) = 6.73 घन मी0

11.50x(3.10+2.50)x(240-2.23) = 5.47 घन मी0

2 12.20 घन मी0

अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹28,499/–की वसूली सुनिष्चित करें।

15 p;fur ekl d nkjku Hkxrku fd, x, fofHkUu dk;l fcyk e fcd odl@gkQ fcd odl d dk;l d fy, xyr nj d Hkxrku d dkj.k ₹34]219@&dk lfonkdkj dk vf/kd Hkxrku djuk %&

चयनित मास के दौरान भुगतान किए गए विभिन्न कार्य बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ब्रिक वर्क/हाफ ब्रिक वर्क के कार्य के लिए पलिन्थ स्तर से 1.50 मी0 की ऊँचाई तक की कार्य मात्रा का भुगतान सुपर स्ट्रकचर की दर से किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1999 के चैपटर 10 के नोट–5 जो इस प्रकार है "The rate are applicable for loging of bricks in foundation and plinth/Flour level two. The plinth level shall be takes as 1.5 mt. above the ground level. The maximum storey hight shall be taken as three meter" उपरोक्त नोट 5 के अनुसार ग्राऊँड लैबल से 1.5 मी0 की ऊँचाई तक फाँऊडेषन एवं पलिन्थ की दरों से ही भुगतान अपेक्षित था लेकिन मण्डल द्वारा परिशिष्ट ''घ'' में दर्षाए कार्यों के लिए ब्रिक कार्य की मदों का भुगतान ग्राऊँड लेबल से 1.5 मी0 की ऊँचाई तक सुपर स्ट्रकचर की दर से किया गया। इस प्रकार मण्डल द्वारा संविदाकारों को ₹34,219/–की राशि का अधिक भुगतान किया गया। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलगन परिशिष्ट ''छ'' में दर्षाया गया है। अतः मण्डल सम्बन्धित संविदाकारों से ₹34,219/–की वसूली करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाना सुनिष्चित करें।

16 fcd odl dh dk;l ek=k e lgkyM QkLV d fy, cuk, x, dØhV Cykd dh dk;l ek=k dk de u dju ls lfonkdkj dk ₹28]832@&dk vf/kd Hkxrku %&

निम्नलिखित वाऊचरों द्वारा किए गए भुगतान से सम्बन्धित कार्य बिलों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन बिलों में दरवाजे की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड़ फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होलड फास्टों को इन्टो की दीवारों में लगाने के लिए 1:3:6 सीमेन्ट कंक्रीट

ब्लाक (साईज 0.30m x 0.10m x 0.15m) बनाने का प्रावधान होता है तथा होल्ड़ फास्टों को लगाने के लिए अनुबन्ध में अलग मद का प्रावधान व तदानुसार संविदाकार द्वारा भरी गई दरों से मापन व भुगतान किया जाता है। इन बिलों में भुगतान किए गए ब्रिक वर्क की मद की जाँच करने पर पाया गया कि होल्ड फास्टों को लगाने के लिए दिवारों में बनवाए गए सीमेन्ट कंक्रीट ब्लाकों की मात्रा को ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से कम नहीं किया गया जबकि कार्य सपैसीफिकेषन (ब्रिक वर्क) के अनुसार 0.10 मी0 के क्षेत्रफल की ओपनिंग इत्यादि के लिए न तो ब्रिक वर्क में से भुगतान हेतु घटाया जाता है और न ही उस ओपनिंग में करवाए गए कार्य का अलग से भुगतान किया जाता है। इन प्रकरणों में सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य की मात्रा को ब्रिक का कार्य मात्रा में से कम नहीं किया गया लेकिन होल्ड फास्ट के भुगतान में सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लाकों का भुगतान कर दिया। अतः होल्ड फास्टों में प्रयोग सीमेन्ट कंक्रीट के ब्लॉकों की कार्य मात्रा का दोबार भुगतान किया गया। एक बार ब्रिक वर्क के भुगतान के समय व दूसरी बार होल्ड फास्टों के भुगतान के समय। इस प्रकार संविदाकारों को ₹28,832/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

Ø0 l0	ok0 l0 ek l	jkf'k	dk;l dk uke o en l0 dk lf{kIr fooj.k	gkYM QkLVk dk en l0	fcd odl dh dk;l ek=k tk nkckj Hkxrku dh xbl	nj ifr ?ku eh0	jkf'k ¼₹½
1	240 3/10	268675	व0मा0पा0 नालिया में दो कमरों का निर्माण कार्य अनुबन्ध सं0 9 (मापन पुस्तिका 1541/09 पृ0 10)	46	46x.30x.10x.15=0.21	3050	641/–
2	244 3/10	515718	व0मा0पा0 कोसासी में 8 कमरों का निर्माण कार्य अनुबन्ध मद सं0 20 (मापन पुस्तिका सं0 1540/09 पृ0 17)	64	64x.30x.10x.15=0.29	2825	819/–
3	232 3/10	180325	चौवाडी (चम्बा) में ओ0बी0सी0 होस्टल का निर्माण कार्य अनुबन्ध सं0 35 (मापन	490	490x.30x.10x.15=2.21	4000	8840/–

			पुस्तिका सं0 1409/07 पृ0 18)				
4	<u>227</u> 3/10	1620359	मिलेनियम पोलटैक्निक कॉलेज चम्बा के कार्य अनुबन्ध मद सं0 34 (मापन पुस्तिका सं0 1500 पृ0 48)	1396	1396x.30x.10x.15=6.28	2950	18532/–
					dqy jkf'k		28832@&

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों की जाँच मण्डल अपने स्तर पर करने के उपरान्त उचित कार्यवाही करें।

17 <u>Vkj LVhy dh okLrfod [kir ek=k ls de ek=k dh olwyh o vkj0 lh0 lh0 dh dk;Z ek=k dh xyr x.kuk ls Bsdsnkj dks jkf'k ₹17]138@&dk vf/kd Hkqxrku djuk</u> %&

<u>okÅpj l[;k 205] ekg 3@2010] jkf'k ₹13]34]202@&</u>

उपरोक्त वाऊचर द्वारा राशि ₹13,34,202/–का भुगतान श्री विनोद सूरी को कार्य मिलेनियम राजकीय पोलटैक्नीक महाविद्यालय चम्बा (उप शीर्ष वर्कशॉप ब्लॉक के निर्माण का कार्य) के द्वितीय चलित बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए किया गया। इस बिल के दौरान किए गए कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका सं0 1498 के पृ0 47 से 56 तक किया गया। बिल का अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियों को पाई गई।

(क) अनुबन्ध मद सं0 9 (प्रोवाईडिंग टौर स्टील) की कार्य मात्रा 6749.54 किलो का मापन व भुगतान ₹60/–प्रति किलो की दर से मापन पुस्तिका सं0 1498 के पृष्ठ 52 द्वारा किया गया जबकि सरिये को उप मण्डल द्वारा जारी किया गया था तथा इस बिल के दौरान सरिये की कुल मात्रा 6749.54 किलो की वसूली ₹46752/–प्रति मिट्रीक टन की दर से की गई थी। जबकि कार्य अनुबन्ध की धारा 42 के अनुसार सरिये की खपत जो वास्तव में हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 199 के अनुसार 7087.02 किलोग्राम बनती थी, की वसूली संविदाकार से अपेक्षित थी। अतः संविदाकार से सरिये की मात्रा 337.48 किलो (7087.02 किलो – 6749.54 किलो) की वसूली ₹46752/–प्रति मिट्रीक टन की दर से

राशि ₹15,778/—की कम वसूली की गई। इस लिए राशि ₹15,778/—की वसूली करना सुनिष्चित करें।

(ख) अनुबन्ध मद संख्या 8 (आर0सी0सी0 1:2:4, कॉलमों की फाऊंडेषन व फूटिंग में) निष्पादित कार्य मात्रा 21.93 घन मी0 का भुगतान ₹4000/—प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1498 के पृष्ठ 51 द्वारा किया गया था जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 17 पर की गई है। इन रिकॉर्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वी$_2$, वी$_3$, डी$_2$, डी$_3$, डी$_4$, डी$_5$, (6नं0) कॉलमों के टेपर्ड पोरषन में आर0सी0सी0 की कार्य मात्रा की गणना 1.92 घन मी0 के लिए की गई थी जबकि वास्तविक गणना निम्नानुसार 1.58 घन मी0 बनती थी।

$$6x\frac{0.20}{3}(2.80+0.27+\sqrt{2.80x0.27}) = 1.58 \text{ घन मी0}$$

इस प्रकार संविदाकार को 0.34 घन मी0 (1.92 घन मी0 — 1.58 घन मी0) का दर ₹4000/—प्रतिधन मी0 की दर से राशि ₹1,360/—का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹1,360/—की वसूली करना सुनिष्चित करें।

18 vkj0lh0lh0 ds dk;Z dks nks ckj ekiu o Hkqxrku] vfrfjDr dk;Z en dh xyr njksa ds fu/kkZj.k bR;kfn ls lafonkdkj dks ₹14]162@&dk vf/kd Hkqxrku %&

okÅpj la[;k 119] ekg 3@10] jkf'k ₹2]20]269@&

इस वाऊचर द्वारा ₹2,20,269/—का भुगतान श्री किषन चन्द वर्मा को कार्य C/o रा0व0मा0 पाठषाला खनियारा (उपषीर्ष 6 नं0 कमरों का निर्माण) के प्रथम चलित बिल के लिए किया गया। इस कार्य बिल की जाँच पड़ताल करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई :—

(क) कार्य अनुबन्ध की मद 6(डी) (पी/एल आर0सी0सी0 1:2:4 कॉलम व पिलरस में) की कुल कार्य मात्रा 6.77 घन मी0 का भुगतान ₹3000/—प्रति घन मी0 की दर सं मापन पुस्तिका संख्या 1544/09 के पृष्ठ 5 पर किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियों को मापन पुस्तिका सं0 1245/04 के पृष्ठ 75 पर दर्ज किया गया। इन रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि सी0सी0 1:2:4 का कार्य 13 नं0 आर0सी0सी0 कॉलमों के लिए (पलिन्थ बीम की निचली स्तह से प्रथम फलोर की बीम की निचली स्तह तक) निम्न प्रकार मापा गया था :—

13x0.30x0.40 (2.75+0.45) = 4.99 घन मी0

इसी प्रकार द्वितीय चलित बिल के दौरान आर0सी0सी0 1:2:4 के कार्य को मापन पुस्तिका सं0 1544/09 के पृष्ठ 93 पर दर्ज किया गया था, के अवलोकन पर पाया गया कि यह कार्य भी 13 नं0 कॉलमों (पलिन्थ बीम से प्रथम फलोर के बीम तक निम्न प्रकार मापा गया था)

13x0.40x0.30x2.75 = 4.29 घन मी0

इस प्रकार 13 नं0 कॉलमों में आर0सी0सी0 का भुगतान पलिन्थ बीम से प्रथम फलोर बीम तक की ऊँचाई के लिए दो बार किया गया। इस प्रकार आर0सी0सी0 के कार्य को दो बार मापने से संविदाकार को ₹12,870/–(4.29 घन मी0 x ₹3000/–प्रति घन मी0) का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की वसूली के साथ–साथ इसके कारणों की भी छानबीन की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के मामलों पर पूर्ण रोक लगाने हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(ख) अतिरिक्त कार्यमद कटिंग इन अर्थ वर्क की कुल कार्य मात्रा 255.87 घन मी0 का भुगतान ₹70/– (पार्ट रेट) की दर से संविदाकार को किया गया। इस कार्य मद की दर की स्वीकृति अधिषासी अभियन्ता द्वारा ₹96.20 प्रति घन मी0 के लिए की गई थी। इस कार्य मद की दर की जाँच करने पर पाया गया कि दर के आंकलन के समय समान श्रेणी की कार्य मद जिसके आधार पर उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मद की दरों का निर्धारण किया गया था, कि दर में से संविदाकार द्वारा प्रदत 10% रिबेट को कम नहीं किया गया। रिबेट को कम करने के उपरान्त अतिरिक्त कार्य मद की दर का निर्धारण ₹86.60/–प्रति घन मी0 निम्न प्रकार अपक्षित था :–

(1)	समान श्रेणी की कार्य मद के लिए संविदाकार की दर	= ₹150/–प्रति घन मी0
	रिबेट 10%	= ₹15/–प्रति घन मी0
	संविदाकार की शुद्ध दर	= ₹135/–प्रति घन मी0
(2)	समान श्रेणी की कार्य मद (एक्सकेवेषन इन फाऊंडेषन एण्ड ट्रैन्चिज) की एच0पी0एस0आर 1999 के अनुसार दर	= ₹92.85/–प्रति घन मी0
(3)	समान श्रेणी की कार्य के लिए संविदाकार की दर की प्रतिषतता	= ₹ $\frac{135 - 92.85}{92.85}$ x 100 = 45.40%

अतः अतिरिक्त कार्य मद (कटिंग इन अर्थ वर्क) के कार्य के लिए दर निर्धारण ₹86.60/–प्रति घन मी0 (अतिरिक्त कार्य मद कटिंग इन अर्थ वर्क की एच0पी0एस0आर 1999 के अनुसार दर ₹59.55/–प्रति घन मी. + समान श्रेणी के कार्य के लिए संविदाकार की प्रतिषतता 45.40%) इस प्रकार संविदाकार को अतिरिक्त कार्य मद के लिए ₹1,292/–का अधिक भुगतान (कार्य की मात्रा

255.87 घन मी0 x (₹70 – ₹64.95/–प्रति घन मी0) किया गया। अधिक भुगतान की राशि ₹1,292/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

19 xyr x.kuk o vfrfjDr dk;! enks dh njks dk vf/kd fu/kkj.k djus ds QyLo:i lafonkdkj dks ₹9]615@&dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

jkdM okÅpj la[;k 209] ekg 3@2010] jkf'k ₹3]15]216@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹3,15,216/–का भुगतान श्री डी0डी0 दता संविदाकार को कार्य (पी0एस0एफ0एस खनियारा फेस–II उपषीर्ष Development of site) के पांचवें चलित बिल के लिए किया गयां पांचवें चलित बिल में किए गए कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 1241/04 के पृष्ठ 36 से 51 पर दर्ज किया गया था इस बिल का अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई :–

(क) कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 10 (आर0आर0 मैसनरी सी0एफ 1:6) की कार्य मात्रा 129.58 घन मी0 का भुगतान ₹1300/–प्रति घन मी0 की दर से किया गया। इस कार्य मात्रा में, 16.82 घन मी0 की कार्य मात्रा सम्मिलित थी जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1412/07 के पृष्ट 93 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर0डी0 11.25 मी0 से 15.20 मी0 के बीच लगाई गई दीवार में किए गए कार्य की मात्रा की गणना 3.93 घन मी0 मापी व भुगतान की गई थी जबकि वास्तव में यह कार्य मात्रा 2.61 घन मी0 $\{(3.95m \times \frac{0.75m + 0.60m}{2}) \times (\frac{1.35 \times 0.90 \times 0.70}{3})\}$ बनती है इस प्रकार संविदाकार को ₹1,716/–(3.93 घन मी0–2.61 घन मी0 x ₹1300/–प्रति घन मी0) का अधिक भुगतान किया गया अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹1,716/–की वसूली कना सुनिष्चित करें।

(ख) कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 25 (पी/एफ 100 एम0एम0 पी0बी0सी0 पाईप वीप होलस) की कार्य मात्रा 197.49 मी0 का भुगतान ₹70/–प्रति मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1241/07 के पृष्ठ संख्या 45 पर किया गया जबकि कार्य आर0आर0 मैसनरी की मात्रा 742.18 घन मी0 का भुगतान उपरोक्त मापन पुस्तिका के पृष्ठ 41 द्वारा किया गया था। आर0आर0 मैसनरी की मात्रा 742.18 घन मी0 का भुगतान उपरोक्त मापन पुस्तिका के पृष्ठ 41 द्वारा किया गया था। आर0आर0 मैसनरी के भुगतान के समय वीप होलस में प्रयोग पी0बी0सी0 पाईप की कटौती नहीं की गई। सी0पी0 डब्लू0डी0 मैनुअल के पैरा 7.1.14.3 के प्रावधानों के अनुसार “No deduction shall be made nor extra payment shall be made for opening each upto the area of 0.10 sqmt.” उपरोक्त आर0आर0 मैसनरी से वीप होलस में प्रयोग 100 एम0एम0 की पी0बी0सी0 पाईप की कोई भी कटौती नहीं होनी थी अगर

पी0बी0सी0 पाईप का अलग से भुगतान न किया होता। इस प्रकार उक्त मामले में आर0आर0 मैसनरी के भुगतान के समय पी0बी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती अपेक्षित थी जोकि बिल में नहीं की गई। इस प्रकार आर0आर0 मैसनरी की कार्य मात्रा से पी0बी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा 1.55 घन मी0 (197.49 मी x $\frac{22}{7}$ $(0.05)^2$) की कटौती न करने से संविदाकार को ₹2,170/–(1.55 घन मी0 x ₹1400/–प्रति घन मी0) का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹2170/– की वसूली सुनिष्चित की जाए।

(ग) पांचवें चलित बिल तक निम्न अतिरिक्त कार्य मदों का भुगतान उनके सामने दर्शाई गई दरों से किया गया।

Ø0 l0	vfrfjDr dk;l en dk uke	dk;l ek=k	nj	fVIi.kh
1	Stone filling behind R.walls	284.03 घन मी.	483.86 (F.R) 362.90 (P.R)	मापन पुस्तिका सं0 1241/04 पृ0 सं0 45
2	Providing form work steel plates in flat surface	17.93 वर्ग मी0	185.65 (F.R) 139.00 (P.R)	मापन पुस्तिका सं0 1241/04 पृ0 सं0 46

इन कार्य मदों की दरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन का निर्धारण अनुबन्ध की धार 12(ii) के अनुसार नहीं किया गया था। उपरोक्त धारा के अनुसार इन कार्य मदों की दर का निर्धारण निम्न प्रकार अपेक्षित था :–

(i) Stone filling behind R.wall.

Persentage of Similar items appearing in Agreement

Sr. No.	Particular	Qty	S.R-Amount	Contrate Rate	Amount
1	R.R. Masenary Dry	821.45	453-372117	500	410725
2	R.R. Masenary in CM. 1:6 in R.walls	415.20	1077-20447253	1400	581280
3	R.R. Masenary in C.M 1:6	269.11	1135.50-305574	1300	349843
			1124944		1341848

Persentage $\frac{1347848-1124.944}{1124944}$ x 100 = 19.28% above

vfrfjDr en LVku lkfyx dh nj i;fr ?ku eh0

एच0पी0एस0आर0 1999 की मद अनुसार अतिरिक्त मद की दर = ₹391.70

(+) संविदाकार का समान कार्य मदों के लिए प्रिमियम @ 19.28% = ₹75.52

;kx ¾ ₹467-22

;k ₹467-25 izfr ?ku eh0

¼ii½ **<u>Fram work steel plates in flat surface</u> :-**

<u>dk;Z vuqcU/k esa lfEefyr leku dk;Z enksa dh izfr'krrk dk fu/kkZj.k</u>

Ø0 l0	dk;Z en dk fooj.k	ek=k oxZ eh0	,p0ih0,e0 vkj0 nj	jkf'k	lafonkdkj dh nj	jkf'k
1	फाऊंडेषन व फूटिंग में फोर्म वर्क का कार्य	131.23	63.60	8347.50	85	11156.25
2	ऐजिज ऑफ स्लैब के कार्य	347.50 मी0	35.10	12197.25	25	8687.50
			;ksx	20544-75		19843-75

izfr'krrk <u>19843-75 &20544-75</u> **x 100 = (-)3.41%**

20544.75

अतः अतिरिक्त कार्य मद फौर्म वर्क स्टील प्लेट (फलैट सरफेस) की दर		
एय0पी0एस0आर0 1999 के अनुसार दर		134.10
(–) संविदाकार का समान कार्य के लिए प्रिमियम **3.41%**		(–) 4.57
		129-53

;k 129-55 izfr oxZ eh0

संविदाकार को उपरोक्त अतिरिक्त कार्य मदों की दरों का भुगतान अपेक्षित दर से अधिक दर पर करने से ₹5,729/–का निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिष्चित करें।

Ø0 l0	dk;Z en dk fooj.k	ek=k	ns; nj	nr nj	vUrj	jkf'k
1	स्टोन सोलिंग रिटेनिंग दीवार के पीछे	284.03 घन मी0	467.25	483.86	16.61	4718.00
2	फोर्म वर्क स्टील प्लेट फलैट सरफेस	17.93 वर्ग मी0	129.25	185.65	56.40	1011.00
					;ksx	5729-00

20 <u>f[kMfd;ksa dh Ýseksa esa oqM odZ dh xyr x.kuk o lh0lh0 1%6%12 rFkk vkj0vkj0 ds dk;Z dh xyr eki ls lafonkdkj dks ₹7]354-00 dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku</u> %&

okÅpj l[;k 55] ekg 3@10] jkf'k ₹2]23]554@&

उक्त वाऊचर द्वारा ₹2,23,554/—का भुगतान मैं0 इन्दरू नाम ट्रेडिंग व कन्सट्रकषन कम्पनी को कार्य (पालमपुर में फिषरी कम्पलैक्स का निर्माण उपषीर्ष टाईप 1,2,3,4 के एक नं0 मकानों के निर्माण) के द्वितीय चलित बिल के लिए किया गया। इस बिल के दौरान किए गए कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका 1506/08 के पृष्ठ 10 से 18 तक दर्ज किया गया था। इस कार्य बिल की जाँच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई।

(क) अनुबन्ध मद संख्या 23 (Providing wood work in frames of door and windows 2nd class deodar wood) की कार्य मात्रा 1.83 घन मी0 का भुगतान ₹58000/—प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका सं0 1506 के पृष्ठ 15 द्वारा किया गया। इस मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ जो मापन पुस्तिका संख्या 1195 के पृष्ठ 68 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि खिड़की डब्ल्यू 3 (आकार 1.52 मी x 1.20 मी0) के लिए कार्य मात्रा का मापन व गणना निम्न प्रकार की गई थी :—

3x3x1.20x0.125x0.0625 = 0.08 घन मी0

3x3x1.50x0.125x0.0625 = 0.11 घन मी0

योग = 0.19 घन मी0

उपरोक्त रिकॉड प्रविष्टियों में खिड़कियों की संख्या 3 से 2 की गई थी लेकिन मात्रा की गणना में उसे ही गुणा किया गया था जबकि खिड़कियों की संख्या 3 से 2 करने पर यह कार्य मात्रा निम्न प्रकार 0.13 घन मी0 बनती थी :—

2x3x1.20x0.125x0.0625 = 0.06 घन मी0

2x3x1.50x0.125x0.0625 = 0.07 घन मी0

योग = 0.13 घन मी0

इस प्रकार संविदाकार को मात्रा 0.06 घन मी0 (0.19—0.13) दर ₹58000/—प्रति घन मी0 से राशि ₹3,480/—का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

(ख) अनुबन्ध मद संख्या 8 (P/L C.C. 1:6:12) व मद सं0 19 (R.R. Masenary in C.M. 1:6) की कार्य मात्रा क्रमशः 0.56 घन मी0 व 8.21 घन मी. की भुगतान दर क्रमशः ₹1400/—व ₹1600/—प्रति घन मी0 से मापन पुस्तिका संख्या 1556 के पृष्ठ 13 व 15 द्वारा किया गया। इन कार्य मदों की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ जो मापन पुस्तिका संख्या 1195 के पृष्ठ 70 से 72 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन कार्य मदों का मापन इन मदों के लिए की खुदाई जिसकी रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ इसी

मापन पुस्तिका के पृष्ठ 70 पर दर्ज के अनुसार नहीं पाया गया। पृष्ठ 70 के अनुसार खुदाई का कार्य निम्न प्रकार किया गया था :—

2.60m x 0.60 x 1.80 = 2.81 q.m
0.35 x 0.60 x 1.40 = 0.29 q.m
1.51 x 0.60 x 1.80 = 1.63 q.m
1.72 x 0.60 x1.80 = 1.86 q.m
0.70 x 0.60 x 0.98 = 0.41 q.m
7.00 q.m

उपरोक्त खुदाई के अनुसार कार्य मद सी0सी0 1:6:12 व आर0आर मैसनरी का भुगतान निम्न विवरणानुसार देय था लेकिन संविदाकार को इन कार्य मदों का भुगतान देय मात्रा से अधिक मात्रा में किया गया जिससे संविदाकार को ₹3874/—का निम्न अनुसार अधिक भुगतान किया गया।

Ø0 l0	en dk lf{kIr fooj.k	[kqnkbZ ds vuqlkj ekiu o ns; ek=k	nj ek=k ?ku eh0	vUrj	nj	vf/kd Hkqxrku dh xbZ jkf'k
1	C.C. 1:6:12	(2.60+.35+1.51+1.72+0.70)x0.60x0.10=0.41 qm	0.56	0.15	1400	210/-
2	R.R. Masenary C.M. 1:6	2.60x.60x.45 = 0.70 2.60x.45x1.20= 1.40 0.35x.06x0.45=0.09 0.35x.45x.80=0.13 1.51x.60x0.45=0.41 1.51x.45x1.20=0.82 1.72x0.60x0.45=0.46 1.72x0.45x1.20=0.93 1.20x.45x0.40=0.22 0.70x.45x2.40=0.76 5.92	8.21	2.29	1600	3640/-
						3874/-

अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि ₹3,874/—की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

21 njokts o f[kMfd;ksa dh Ýsek esa ydMh dh ek=k dk vf/kd ekiu ls lafonkdkj dks ₹3]304 dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

okÅpj l[;k 240] ekg 3@10] jkf'k ₹2]68]675@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा राशि ₹2,68,675/–का भुगतान श्री पवन कुमार ठाकुर को कार्य (व0मा0पा0 नालियां में 2 कमरों के निर्माण) के प्रथम चलित बिल के लिए किया गया। उपरोक्त कार्य बिल के दौरान करवाए गए कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 1541/09 के पृष्ठ 7 से 11 तक किया गयां इस कार्य बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य अनुबन्ध मद सं0 5 (Providing wood work in frames of door and windows) की कार्य मात्रा 0.614 घन मी0 का भुगतान दर ₹59000/–प्रति घन मी0 से मापन पुस्तिका संख्या 1514/09 के पृष्ठ सं0 3 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की जाँच से पाया गया कि इस मात्रा में 6 खिड़कियों के सीधे फ्रेम (6x5x1.20m x 0.125m x 0.625m) = 0.281 घन मी0 की मात्रा सम्मिलित थी जबकि प्राक्कलन के अनुसार उपरोक्त 6 नं0 खिड़कियों के लिए वर्टीकल फ्रेमों की आकार 4 दर्षाई गई है। इस प्रकार उपरोक्त खिड़की आकार (1.80 मी0 x 1.20 मी0) में वर्टीकल फ्रेमों की संख्या 5 के स्थान पर 4 अपेक्षित थीं इन 6 नं0 खिड़कियों के लिए कार्य मात्रा 0.225 घन मी0 (6x4x1.20m x 0.125m x 0.625m) का मापन व भुगतान देय था लेकिन इस कार्य मात्रा के विपरीत 0.281 घन मी0 की कार्य मात्रा का भुगतान किया गयां इस प्रकार संविदाकार को 0.056 घन मी0 मात्रा का दर ₹59000/–प्रति घन मी0 से राशि ₹3,304/–के लिए अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹3,304/–की वसूली सुनिष्चित करें।

22 Qkel odl d xyr ekiu o th0,e0,l V;c ¼ikbi½ dh xyr nj d Hkxrku l lfonkdkj dk ₹3]272@&dk vf/kd Hkxrku ¼&

jkdM okÅpj l[;k 213] ekg 3@10] jkf'k ₹4]82]193@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹4,82,193/–का भुगतान मैं0 गुप्ता बिलडर्स को कार्य c/o मिलक प्रोसैसिंग प्लांट झलेड़ा ऊना (कार्य अनुबन्ध संख्या 42 वर्ष 2008–09) के तृतीय चलित बिल के लिए मापन पुस्तिका संख्या 1481 के पृष्ठ 35 से 74 तक दर्ज किए गए कार्य मदों के लिए किया गया। इस बिल के अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

(क) कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 6 (फौर्म वर्क स्टील प्लेट वर्टीकल वालस) की कुल कार्य मात्रा 22.27 वर्ग मी0 का भुगतान ₹100/–प्रति वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1481 के पृष्ठ संख्या 38 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियों को मापन पुस्तिका संख्या 1480 के पृष्ठ संख्या 18 पर निम्न प्रकार दर्ज किया गया था।

टो वाल नम्बर–1 4.15 x 1.50 = 6.22 Sq.m

	4.15 x 1.65 = 6.84 Sq.m
टो वाल नम्बर–2	3.05 x 1.20 = 3.66 Sq.m
	3.05 x 1.25 = 3.81 Sq.m
	1.65 x 0.50 = 0.83 Sq.m
	1.65 x 0.55 = 0.91 Sq.m
	22.27 Sq.m

जबकि कार्य से सम्बन्धित मदों एकसकेवेषन व सी0सी0 1:5:10 जिनकी रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका 1480 के पृष्ठ 17 व 19 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन दीवारों की खुदाई 0.45 मी0 गहरी खाई के रूप में की गई थी तथा खाई की पूरी चौड़ाई मे 0.45 मी0 ऊँचाई की सी0सी0 1:5:10 की गणना की गई थी। इस स्थिति में फौर्म वर्क का मापन दीवारों की कुल ऊँचाई (–) टैन्च की ऊँचाई के बराबर की ऊँचाई के लिए अपेक्षित था अतः इन दीवारों में फौर्म वर्क का मापन 7.96 वर्ग मी0 ((4.15 + 3.15 + 1.65) x 0.45 मी0) अधिक किया गया तथा दर ₹100/–प्रति वर्ग मी0 से राशि ₹796/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

(ख) परिशिष्ट (बी) की अनुबन्ध मद संख्या 1(पी/एफ 15एम0एम0 जी0एम0एस पाईप वॉल, सिलिंग व फलोर) की कुल कार्य मात्रा 62.45 मी0 का भुगतान ₹120/–प्रति मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1481 के पृष्ठ 62 पर किया गया। इस कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों को मापन पुस्तिका संख्या 1480 के पृष्ठ 10 पर दर्ज किया गया था। इसी प्रकार 20 एम0एम0 की जी0एम0एस0 पाईप का भुगतान ₹150/–प्रति मी0 की दर से किया गया। इन जी0एम0एस0 पाईपों के लिए खुदाई के कार्य का भुगतान 7.77 घन मी0 के लिए मापन पुस्तिका संख्या 1481 पृष्ठ 38 द्वारा किया गया। खुदाई के कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों को मापन पुस्तिका संख्या 1480 के पृष्ठ 9 पर निम्न प्रकार दर्ज किया गया था :–

15 एम0एम0 पाईप	6 x 0.30 x 0.30 = 0.54 q.m
	26.40 x 0.30 0.30 = 2.38 q.m
20 एम0एम0 पाईप	17.45 x 0.30 0.30 = 1.57 q.m
	36.50 x 0.30 0.30 = 3.28 q.m
	7.77 q.m

अतः 32.40 मी0 15 एम0एम0 पाईप व, 53.95 मी0 20 एम0एम0 पाईप का भुगतान प्रति स्थापित मद (पी/एल जी0एम0एम0 पाईप इन ट्रैन्चिज एच0पी0एस0आर0 की मद संख्या 9.5 (आई0पी0एच) के अनुसार देय था जबकि उपरोक्त का भुगतान परिशिष्ट (बी) की मद संख्या 1 द्वारा किया गया। प्रति स्थायी मद के दर का निरर्धारण निम्न प्रकार अपेक्षित था :–

dk;l en dk fooj.k	,p0ih0,l0vkj 1993 ¼IPH½ d vuqlkj nj	lfonkdkj dh nj	ifr'krrk
पी/एफ, वॉल सिलिंग जी एस0एस0 पाईप (मिडियम ग्रेड)			
15 एम0एम0	20.85 प्रति मी0	₹120/– प्रति मी0	475.54% ऊपर
20 एम0एम0	25.45 प्रति मी0	₹150/– प्रति मी0	489.39% ऊपर

ifrLFkk;h en dk fooj.k	,p0ih0,l0vkj 1993 ¼IPH½ d vuqlkj nj	lekU J.kh d dk;l d fy, lfonkdkj dh njk dh ifr'krrk	Hkqxrku ;kX; nj
पी/एल इनटैंचिज जी0एम0एस0 पाईप			
15 एम0एम0	16.35 प्रति मी0	475.54% ऊपर	₹94.10 प्रति मी0
20 एम0एम0	20.30 प्रति मी0	489.39% ऊपर	₹119.65 प्रति मी0

इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त कार्य मद के लिए ₹94.10 प्रति मी0 व ₹119.65 प्रति मी0 की दर से क्रमशः 15 एम0एम0 व 20 एम0एम0 की जी0एम0एस0 की पाईपों का भुगतान देय था लेकिन इन पाईपों का भुगतान क्रमशः ₹120/–प्रति मी0 व ₹150/–प्रति मी0 किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹2,476/–का निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया।

dk;l en dk fooj.k	ek=k	n; nj	nr nj	vUrj	vf/kd Hkqxrku
पी/एल इन टैन्चिज जी0एम0एस0 पाईप (मिडियम ग्रेड)					
15 एम0एम0	32.40 मी0	94.10 प्रति मी0	120 प्रति मी0	25.90 प्रति मी0	₹839/–
20 एम0एम0	53.95 मी0	119.65 प्रति मी0	150 प्रति मी0	30.35 प्रति मी0	₹1637/–
				;kx	₹2476@&

अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹2476/–की वसूली सुनिष्चित की जाए।

23 lfonkdkjk dk LVkj l tkjh lkeku e l 'k"k lkeku dh okfil ikfIr ij] dk;l vuqcU/k dh /kkjk 42¼i½ d vuqlkj mud [kkr dk ØfMV u dju l ₹1]217@&dh de olwyh djuk ½&

¼d½ okÅpj l[;k 99] ekg 3@10] jkf'k ₹9]359@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹9,359/–का भुगतान श्री राकेश राणा को कार्य C/o आर0सी0एच0 प्रोग्राम (उपषीर्ष) ओपरेषन थिएटर का निर्माण) के अन्तिम कार्य बिल के लिए किया गया। (अनुबन्ध संख्या 26 वर्ष 2004–05) संविदाकार के खाते की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य समापन के बाद संविदाकार के पास शेष बचे 140 बैग सीमेन्ट व 4.64 किवंटल स्टील को मण्डल के भण्डार में जी0आर0 संख्या 618 दिनांक 06.08.08 द्वारा वापिस प्राप्त किया गया। उपरोक्त स्टोर का समायोजन वाऊचर संख्या 18, माह 12/2008 द्वारा किया गया। इस वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार के खाते को सीमेन्ट व स्टील की जारी दर से ही क्रैडिट किया गया था जबकि उपरोक्त सीमेन्ट व स्टील की जारी दर (इषू रेट) में 30% की दर से स्टोरेज चार्जिज सम्मलित थे। कार्य अनुबन्ध की धारा 42(i) के अनुसार संविदाकार से प्राप्त शेष सामान के मूल्य का आंकलन सामान के जारी मूल्य से स्टोरेज चार्जिज कम करने के बाद किया जाना चाहिए था तथा तदानुसार संविदाकार के खाते को क्रैडिट किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार समायोजन वाऊचर संख्या 18 माह, 12/2008 द्वारा संविदाकार के खाते को ₹34,363/–से क्रैडिट किया गया जबकि उपरोक्त धारा 42(i) के अनुसार संविदाकार के खाते को ₹33,362/–जिसका विवरण निम्न है, से क्रैडिट किया जाना अपेक्षित था।

Ø0l0	LVkj dk fooj.k	b'kw nj	jkf'k
1	140 बैग सीमेन्ट	150/– प्रति बैग	₹21,000/–
2	4.64 क्विंटल स्टील	2880/– प्रति क्विंटल	₹13,363/–
			₹34]363@&

30% स्टोरेज चार्जिज कम करने के बाद स्टोर का मुल्य	$\frac{3}{103}$ x 34363= 1000.86 या 1001/–
30% स्टोरेज की राशि को कम करने के उपरान्त स्टोर की कीमत	34363-1001=33362/-

इस प्रकार संविदाकार से ₹1001/–की कम वसूली की गई। इसी प्रकार वाऊचर संख्या 117 माह 3/10 के द्वारा राशि ₹836553/–का भुगतान श्री पंकज महाजन को कार्य (Inteqrated development of Chamba SH Development of Chaugan No.I) के नौवें व अन्तिम बिल का भुगतान किया गया। उपरोक्त कार्य में शेष बचे 38 नम्बर सीमेन्ट बैग जिन्हें जी0आर0 संख्या 269

दिनांक 26.06.08 को वापिस स्टोर में प्राप्त किया था, का क्रैडिट संविदाकार को इषू दर ₹195/– से ही दिया गया जबकि इषू दर में स्टोरेज चार्जिज 30% की दर से सम्मलित थे। अतः संविदाकार को

₹7194($\frac{100}{103}$ x 38 x 195)

का क्रैडिट अपेक्षित था। परन्तु संविदाकार को ₹7410/–(38 सीमेन्ट बैग x ₹195/–प्रति बैग) का क्रैडिट दिया गया। इस प्रकार संविदाकार को अधिक क्रैडिट देने से ₹216.00 की कम वसूली की गई। अतः इन दोनों प्रकरणों में कुल ₹1,217/– (1001 + 216) की कम वसूली की गई। कम वसूल की गई राशि को, संविदाकारों की देय प्रति भूति राशि या फिर उनके अन्य कार्यों के लिए देय राशि मे से वसूल करना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त मण्डल इस प्रकार के समस्त मामलों को अपने स्तर पर छानबीन करने के उपरान्त कम वसूल की गई राशि की वसूली भी करे।

24 lh0lh0 dh dk;l en dk Hkqxrku vkj0lh0lh0 d dk;l en l dju d dkj.k lafonkdkj dk ₹864@&dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

jkdM okÅpj l[;k 179] ekg 3@10] jkf'k ₹9]75]034@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹9,75,034/–का भुगतान श्री रमेश ठाकुर संविदाकार को कार्य C/o इन्डोर स्टेडीयम ऊना (उपषीर्ष providing interlock chain fencing of G.I. wire) के प्रथम चलित बिल के लिए किया गया। यह कार्य संविदाकार को अधिषासी अभियन्ता हिमुडा मण्डल धर्मषाला के पत्र संख्या हिमुडा/डी0डी0/सी0बी/डब्ल्यू/7/2007–7249–56, दिनांक 22.01.10 द्वारा ₹8,37,526/–जोकि NIT से 55.78% ऊपर था के लिए आबंटित किया गया। प्रथम चलित बिल जो कि मापन पुस्तिका संख्या 1479 के पृष्ठ 60 से 64 पर दर्ज था, का अवलोकन करने पर निम्न आपत्ति पाई गई :–

(क) कार्य अनुबन्ध मद संख्या 5 (पी/एल आर0सी0सी0 1:2:4) की कार्य मात्रा 19.68 घन मी0 का भुगतान ₹2,540/–प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1479 के पृष्ठ 61 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां जो मापन पुस्तिका संख्या 1479 के पृष्ठ संख्या 59 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह कार्य मात्रा 59 नम्बर पोस्ट कोन में सी0सी0 1:2:4 के लिए मापी गई थी। इन पोस्ट कोनों में कोई भी सरिये का कार्य नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त कार्य की कुल मात्रा में से 18.62 घन मी0 का भुगतान आर0सी0सी0 के स्थान पर सी0सी0 1:2:4 में होना अपेक्षित था सी0सी0 1:2:4 की दर का निर्धारण प्रतिस्थापित मद के आधार पर निम्न प्रकार करने के उपरान्त कार्य मात्रा 18.62 घन मी0 का भुगतान ₹2,493.60 प्रति घन मी0 की दर से होना अपेक्षित था

लेकिन इस कार्य मात्रा का भुगतान आर0सी0सी0 की दर ₹2,540/–प्रति घन मी0 से किया गया जिसके फलस्वरूप संविदाकार को ₹864/–का अधिक भुगतान किया गया।

आर0सी0सी0 1:2:4 की मद के लिए संविदाकार की दर	2540/–प्रति घन मी0
उपरोक्त के लिए एच0पी0एस0आर0 1999 के अनुसार दर	1740.20 प्रति घन मी0
प्रतिषतता	$\frac{2540-1740.20}{1740.20}$ x 100 = 45.96% ऊपर
अतः सी0सी0 1:254 की दर	
एच0पी0एस0आर0 1999 के अनुसार दर	1708.40 प्रति घन मी0
(+) संविदाकार का समान मद के लिए प्रिमियम @ 45.96% ऊपर	785-18 i`fr ?ku eh0
	2493-58 i`fr ?ku eh0
	;k 2493-60 i`fr ?ku eh0

अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹864/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

25 Qkel odl ¼LVhy lyV bu QyV ljQl½ d dk;l dk nk ckj ekiu dju l lfonkdkj dk ₹562@&dk vf/kd Hkxrku djuk ½&

okÅpj l[;k 189] ekg 3@10] jkf'k ₹1]29]312@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹1,29,312/–का भुगतान श्री मनीष कुमार को कार्य ''वरिष्ठ माध्यमिक पाठषाला सलयाणा जिला कांगड़ा में 2 कमरों के निर्माण) के तीसरे चलित बिल के लिए किया गयां इस कार्य बिल के दौरान किए गए कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 1224/04 के पृष्ठ 95 से 100 तक किया गया था। इस बिल का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य अनुबन्ध की मद संख्या 4(बी) (फोर्म वर्क स्टील प्लेट, फलैट सरफेस) की कुल कार्य मात्रा 97.64 वर्ग मी0 का भुगतान ₹195/–प्रति वर्ग मी0 की दर से मापन पुस्तिका 1224/04 के पृष्ठ 96 द्वारा किया गया। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ उसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 92 पर दर्ज थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि फौर्म वर्क का कार्य क्लास रूम I व II के लिए पूरी लम्बाई व चौड़ाई के लिए किया गया (7.20m x 4.86m + 6.95 x 4.80m) लेकिन इन कमरों में चौड़ाई की ओर 2 वीम भी थे। इन बीमों में फोर्म वर्क (सोफिट) का मापन (2 x 4.80 x 0.30) = 2.88 वर्ग मी0 के लिए दर ₹195/–प्रति वर्ग म0 से अनुबन्ध मद संख्या 4(ई) द्वारा भी किया गया। अतः फोर्म वर्क (सोफिट की कार्य मात्रा 2.88 वर्ग मी0 का भुगतान एक बार कमरों के फौर्म वर्क के साथ व दूसरी बार बीम के फौर्म वर्क के साथ किया गया। अतः कार्य मात्रा 2.88 वर्ग मी0 का भुगतान दर ₹195/–प्रति वर्ग मी. से दो बार संविदाकार को किया

गया। अतः संविदाकार को ₹562/– (2.88 वर्ग मी0 x ₹195/–प्रति वर्ग मी0) के अधिक भुगतान की वसूली करना सुनिष्चित करें।

26 fofHkUu dk;k d fu"iknu d nkjku vucfU/kr dk; ek=kvk e vR;kf/kd fopyu %&

चयनित मास के दौरान मण्डल द्वारा करवाए गए विभिन्न कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन कार्यों की अनुबन्धित कार्य मात्राओं से अधिक कार्य मात्रा के लिए कार्य करवाया गया था जबकि इन कार्यों के आबंटन पत्र में यह स्पष्ट शर्त थी कि सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आबंटित कार्य मात्रा में कोई भी विचलन करवाया जाए। लेकिन इन कार्यों के लिए अनुबंधित कार्य मात्रा में अत्याधिक विचलन करवाया गया तथा विचलन की मात्रा का भुगतान करने से पूर्व किसी भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो कि आबंटन पत्र की शर्त का पूर्णतय उल्लंधन था। अतः इन कार्यों में करवाए गए विचलन की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए अन्यथा इस प्रकार किए गए अनियमित भुगतान की वसूली दोषियों से करना सुनिष्चित करें। इन समस्त कार्यों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''ज'' में दिया गया है। अनुपालना से अगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

27 inkUufr ij xyr oru fu/kkj.k d dkj.k depkfj;k dk oru o HkÙkk dh ₹1]06]442@&dh jkf'k dk vn;@vf/kd Hkxrku djuk %&

(क) निम्नलिखित कर्मचारियों को उनकी पदोन्नती के फलस्वरूप मूल नियम एफ0आर0–22 के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया :–

¼1½ Jh ,p0d0 'kek o0 lgk;d

01.01.96	5160	(01.01.96 से वेतन संषोधन के कारण वेतन मान 5000–8100 में वेतन निर्धारण डी0एन0आई0 01.07.96
01.07.96	5320	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.97	5480	वार्षिक वेतन वृद्धि
05.06.98 (FN)	5800	(वरिष्ठ सहायक के पद के वेतन मान 5800–9200 में पदोन्नति के कारण वेतन निर्धारण सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के आदेश संख्या एच0वी–3–226/96 दिनांक शून्य द्वारा किया गया।
01.07.98	5640	कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वेतन का पुनः निर्धारण
01.07.98	6000	एफ0आर0–22(1)

01.07.99	6200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2000	6400	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2001	6600	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2002	6800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2003	7000	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2004	7220	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2005	7440	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.01.2006	13840+3800	(संषोधित वेतन मानों में वेतन निर्धारण)
01.07.2006	14370+3800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2007	14920+3800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2008	15490+3800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.07.2009	16070+3800	वार्षिक वेतन वृद्धि

¼2½ <u>Jh d|ynhi pUn o0 lgk;d</u>

01.01.96	5320	(01.01.96 से संषोधित वेतन मान 5000–8100 में वेतन निर्धारण डी0एच0आई0 3/96
01.03.96	5480	वार्षिक वेतन वृद्धि
04.12.96	5800	(वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतन मान 5800–9200 में पदोन्नति के फलस्वरूप सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के आदेश सं0 एच0पी0–3–327/93–एड़मन–II दिनांक 27.02.98 द्वारा वेतन निर्धारण)
01.03.97	5640	विकल्प के अनुसार वेतन का पुनः निर्धारण करना
01.03.97	6000	एफ0आर0 22(1)(ए) के अनुसार
01.03.98	6200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.99	6400	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2000	6600	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2001	6800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2002	7000	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2003	7220	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2004	7440	वार्षिक वेतन वृद्धि
04.12.2004	7660	(ए0सी0पी0एस के तहत अगामी वेतन मान 6400–10640 में वेतन

		निर्धारण)
01.03.2005	7880	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.01.2006	14660+4200	(01.01.2006 से संषोधित वेतन मानों में वेतन निर्धारण)
01.03.2006	15230+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2007	15820+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2008	16420+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2009	17040+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.03.2010	17680+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि

लेकिन हिमाचल प्रदेश वित्त (विनिमय) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन–सी–वी(7)8 / 98, दिनांक 02.05.2001 द्वारा जारी स्पष्टीकरण सह पठित कार्यालय ज्ञापन सम संख्या दिनांक 18.08.2001 के अनुसार "The Governor, HP is pleased to order that in cases where on promotion to higher post, the pay of the incurnbent is two stages or more below the minimum of the pay scale of the promotional post. His pay shall be fixed at the minimum of the pay scale of the promotional post as per provisions of F.R 22(I)(b) and the increment on the promotional post shall acc after completion of twelve months" उपरोक्त कर्मचारियेां का वेतन पदोन्नति के समय पदोन्नत पद के वेतन मान (5800–9200) के न्यूनतम से दो स्तर नीचे था यानि इन कर्मचारियों का वेतन ₹5,480 / –मासिक था। उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार इन कर्मचारियों का वेतन पदोन्नत पद पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाना अपेक्षित था :–

¼3½ <u>Jh ,p0d0 'kek o0 lgk;d</u>

05.06.98	5800	(पदोन्नती पर पदोन्नत पद के वेतनमान में न्यूनतम पर निर्धारण)
01.06.99	6000	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.06.2000	6200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.06.2001	6400	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.06.2002	6600	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.06.2003	6800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.06.2004	7000	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.06.2005	7220	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.01.2006	13430+3800	(01.01.2006 से संषोधित वेतन मानों में वेतन निर्धारण)
01.06.2006	13950+3800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.06.2007	14490+3800	वार्षिक वेतन वृद्धि

01.06.2008	15040+3800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.06.2009	15610+3800	वार्षिक वेतन वृद्धि

¼4½ Jh dqynhi pUn o0 lgk;d

04.12.96	5800	(पदोन्नत पद के वेतन मान 5800–9200 मे न्यूनतम पर वेतन निर्धारण)
01.12.97	6000	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.98	6200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.99	6400	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.2000	6600	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.2001	6800	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.2002	7000	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.2003	7220	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.2004	7440	वार्षिक वेतन वृद्धि
04.12.2004	7660	(ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत अगामी वेतन मान 6400–10640 में वेतन निर्धारण)
01.12.2005	7880	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.01.2006	14660+4200	(01.01.2006 से संषोधित वेतन मानों मे वेतन निर्धारण)
01.12.2006	15230+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.2007	15820+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.2008	16420+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.12.2009	17040+4200	वार्षिक वेतन वृद्धि

इस प्रकार उपरोक्त कर्मचारियों को क्रमशः ₹48481/–व ₹49296/–के वेतन व भत्तो का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान किए गए वेतन व भत्तों का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट ''झ'' में दर्षाया गया है। अतः कुल राशि ₹97,777/–की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए इसी प्रकार के अन्य सभी मामलों यदि कोई हो तो में पुनः वेतन निर्धारण करने के उपरान्त अधिक भुगतान वेतन व भत्तों की गणना के साथ राशि की वसूली भी करना सुनिष्चित करें।

¼[k½ Jh dqyk'k pUn fyfid %&

श्री कैलाश चन्द लिपिक की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि 01.01.2006 से संषोधित वेतन मानों में इनका वेतन दिनांक 15.02.2007 से सी0ई0ओ–एवं सचिव हिमुडा के आदेश संख्या हिमुडा–3–960/99–एडमन दिनांक 19.04.10 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित किया गया।

15.02.2007	3440	(संषोधन से पूर्व के वेतन मान 3120–5160 में वेतन)
15.02.2007	6400+1900=8300	(01.01.2006 से संषोधित वेतन मान 5910–20200+1900 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण)
01.02.2008	6650+1900=8550	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.02.2009	6910+1900=8810	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.02.2010	7180+1900=9080	वार्षिक वेतन वृद्धि
		(अगली वेतन वृद्धि 2/2011 यदि देय हो)

लेकिन श्री कैलाश चन्द दिनांक 01.01.2006 को बेलदार (वर्क चार्ज) के पद पर था तथा 15.02.2007 से उसे लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। चूंकि आवास बोर्ड द्वारा वर्क चार्ज कर्मचारियों को 01.01.2006 से संषोधित वेतन मान स्वीकृत नहीं किए गए थे इसलिए इस कर्मचारी का 01.01.2006 से वेतन संषोधन न करके 15.02.2007 से किया गया। यदि इस कर्मचारी का वेतन, संषोधित वेतन मान में 01.01.2006 से निर्धारित करने के उपरान्त वित्तीय लाभ 15.02.2007 से (लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि) से दिया जाता तो इस कर्मचारी का 01.01.2006 से संषोधित वेतन मानों में 15.02.2007 से वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार अपेक्षित था :–

14.02.2007	6030+1300=7330	(वेतन मान 4900–10680+1300 ग्रेड पे0 में वेतन)
15.02.2007	6250+1900=8150	(लिपिक पद के संषोधित वेतन मान 5910–20200+1900 ग्रेड़ पे0 में 15.02.2007 को पदोन्नती के कारण वेतन निर्धारण)
01.02.2008	6500+1900=8400	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.02.2009	6700+1900=8660	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.02.2010	7020+1900=8920	वार्षिक वेतन वृद्धि

इस प्रकार कर्मचारी को दिनांक 15.02.2007 से 31.12.10 तक ₹8,665 के वेतन व भत्तों का अदेय भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

vof/k	ns; osru o HkÙks			nr osru o HkÙks			vUrj	ekl	jkf'k
	e0osru	,-Mh-,	dqy	e0osru	,-Mh-,	dqy			
15.02.07 से 30.06.07 @ 6%	8150	489	8639	8300	498	8798	159	4 14/28	716
01.07.07 से 31.12.	8150	734	8884	8300	747	9047	163	6	978

07 @ 9%										
01.01.08 से 31.01.08 @ 12%		8150	978	9128	8300	996	9296	168	1	168
01.02.08 से 30.06.08 @ 12%		8400	1008	9408	8550	1026	9576	168	5	840
01.07.08 से 31.12.08 @ 16%		8400	1344	9744	8550	1368	9918	174	6	1044
01.01.09 से 31.01.09 @ 22%		8400	1848	10248	8550	1881	10431	183	1	183
01.02.09 से 30.06.09 @ 22%		8660	1905	10565	8810	1938	10748	183	5	915
01.07.09 से 31.12.09 @ 27%		8660	2338	10998	8810	2379	11189	191	6	1146
01.01.10 से 31.01.10 @ 35%		8660	3031	11691	8810	3084	11894	203	1	203
01.02.10 से 30.06.10 @ 35%		8920	3122	12042	9080	3178	12258	216	5	1080
01.07.10 से 31.12.10 @ 45%		8920	4014	12934	9080	4086	13166	232	6	1392
								;kx		8665

अतः अधिक/अदेय वेतन व भत्तों की राशि ₹8,665/–की वसूली के साथ दिनांक 01.01.11 से ₹8,920/–की दर से वेतन का अहरण करना सुनिष्चित किया जाए।

28 xyr frfFk;k l iokh.krk oru of);k dk Lohd`r djus l ₹26]030@&dk oru o HkÙkk dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku djuk %&

(i) श्री ठाकुर दयाल शर्मा (वरिष्ठ सहायक) को सचिव एवं मुख्य अभियन्ता आवास बोर्ड के आदेश संख्या–एच0बी0–3–254/76 दिनांक 05.07.94 द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिनांक 27.07.93 से प्रवीणता वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के कारण उनका वेतन 2060+50(ए0पी0) से बढ़ाकर 2130+50 (ए0पी0) पर निर्धारित किया गया। इनकी सेवा पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि इन्हें यू0डी0सी (अब वरिष्ठि सहायक) के पद (वेतन मान 570–1080) पर

पदोन्नत किया गया था तथा इनके द्वारा दिनांक 27.07.85 को यू0डी0सी0 के पद पर कार्य ग्रहण किया गया था। लेकिन यू0डी0सी0 के पद पर श्री ठाकर दयाल शर्मा द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार इनका वेतन मूल नियम एफ0आर–22–सी के अन्तर्गत निचले पद पर देय वार्षिक वेतन मान 570–1080 में 620 (डी0एन0आई 1.3.87) पर निर्धारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग) के पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी(7)–17/90 दिनांक 29.10.1991 के पैरा (सी) के अनुसार "The period for grant of profieancy increment will be reckoned from the date, the pay is fixed under-22-c" अतः उपरोक्त पत्र के अनुसार प्रवीणता वेतन वृद्धि के लिए सेवा काल की गणना 1.3.86 से अपेक्षित थी क्योंकि श्री ठाकर दयाल द्वारा यू0डी0सी0 के पद पर वेतन का निर्धारण मूल नियम एफ0आर0–22 सी के अन्तर्गत दिनांक 01.03.86 से करवाया था। अतः इन्हें प्रथम प्रवीणता वेतन वृद्धि दिनांक 1.3.94 से देय थीं इस लिए श्री ठाकर दयाल शर्मा को दिनांक 27.07.93 से 28.02.94 तक वेतन व भत्तों की राशि ₹998/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

vof/k	ekl	ns; osru o HkÙks			nr osru o HkÙks			vUrj	jkf'k
		e0osru	,-Mh-,	dqy	e0osru	,-Mh-,	dqy		
27.7.93 से 31.12.93	5 5/31	2060+50	2047	4157	2130+50	2115	4295	138	712
01.1.94 से 28.2.94	2	2130+50	2267	4447	2200+50	2340	4590	143	286
									998

इसी प्रकार 16 वर्ष व 24 वर्ष की एक ही पद पर सेवा काल पूर्ण करने पर श्री ठाकर दयाल शर्मा को (ए0सी0पी0एस) के तहत दिनांक 27.07.2001 से व 27.07.2009 से प्रवीणता वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की गई जो कि वास्तव में दिनांक 01.03.2002 व 01.03.2010 से देय थी लेकिन 26.08.2009 के बाद देय प्रवीणता वेतन वृद्धियों पर हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की विज्ञपती संख्या फिन (पी0आर) बी (7)–1/98, दिनांक 31.08.2009 द्वारा आगामी आदेषों तक रोक लगाने के कारण दिनांक 01.03.2010 से देय प्रवीणता वेतन वृद्धि देय नहीं थी। अतः दिनांक 27.07.01 से 28.02.2002 तक तथा 27.07.2009 से मार्च 2010 तक इस कर्मचारी को वेतन व भत्तों की अदेय राशि ₹11,228/–का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

vof/k	ekl	ns; osru o HkÙks			nr osru o HkÙks			vUrj	jkf'k
		e0osru	,-Mh-,	dqy	e0osru	,-Mh-,	dqy		
27.7.01 से 31.12.01	5 5/31	8650	3893	12543	8925	4016	12941	398	2054
01.1.02 से 28.2.02	2	8925	4373	13298	9200	4508	13708	410	820
27.7.09 से 31.12.09	5 5	25730	6947	32677	26510	7158	33668	991	5114

	31								
01.01.10 से 31.3.10	3	26510	9279	35789	27310	9559	36869	1080	3240
									11228

अतः श्री ठाकर दयाल शर्मा के वेतन 27.09.2009 से आगे नियमानुसार निर्धारित करने के उपरान्त 01.04.10 से देय वेतन व भतों का भुगतान सुनिष्चित करने के साथ ₹12226/–के अदेय वेतन व भत्तों की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

(ii) श्री प्रकाश चन्द चालक के पक्ष में चालक के पद पर 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पष्चात दिनांक 03.08.96 से ए0सी0पी0एस के तहत सी0ई0ओ0 कम–सचिव आवास बोर्ड के आदेश संख्या एच0वी–3–535/82 दिनांक 21.02.2000 द्वारा प्रथम प्रवीणता वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। प्रवीणता वेतन वृद्धि की स्वीकृति के बाद इनका वेतन ₹4,550/–मासिक से बढ़ाकर ₹4700/–प्रति मासिक किया गया। इसी प्रकार इनके पक्ष में ए0सी0पी0एस के तहत एक ही पद पर 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पष्चात दिनांक 03.08.2004 से सी0ई0ओ0 कम–सचिव हिमुडा के आदेश संख्या हिमुडा/3–535/82–एडमन दिनांक 29.04.2009 द्वारा द्वितीय प्रवीणता वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई। द्वितीय प्रवीणता वेतन वृद्धि की स्वीकृति के उपरान्त इनका वेतन ₹6000/–प्रति मास से बढा कर ₹6200/–प्रति मास किया गया। श्री प्रकाश चन्द चालक की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि इनकी नियुक्ति दिनांक 15.07.80 को की गई थी तथा इनकी नियुक्ति दिनांक 15.07.80 को की गई थी तथा इनकी सेवाओं को सचिव एवं मुख्य अभियन्ता आवास बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 5–25/74–एडमन दिनांक 6–x–82 द्वारा तत्काल प्रभाव यानि 06.10.82 से नियंत्रित किया गया था (सेवा पुस्तिका खण्ड–1 के पेज 9 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार) क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (पी0आर)बी(7)–1/98–II दिनांक 10.08.99 द्वारा प्रारम्भिक तदर्थ काल की सेवा को 01.01.96 से संषोधित वेतन मानों में पलेसमैन्ट वेतनमान/ए0सी0पी0एस के लाभों हेतु अवधि 8/16/24 वर्ष की गणना के लिए नहीं माना गया है। इस प्रकार ए0सी0पी0एस के अन्तर्गत 8/16/24/32 वर्ष की सेवा काल की अवधि की गणना नियमितीकरण की तिथि से ही की जानी अपेक्षित थी। उपरोक्त पत्र के अनुसार श्री प्रकाश चन्द चालक को ए0सी0पी0एस के तहत 16 वर्ष व 24 वर्ष की सेवा के लिए प्रवीणता वेतन वृद्धियां दिनांक 6–x–98 व 6–x–2006 से देय थी जो कि दिनांक 03.08.96 व 03.08.2004 से स्वीकृत की गई। इस प्रकार कर्मचारी को दिनांक 03.08.96 से 5–x–98 व 03.08.2004 से 5–x–2006 तक अदेय वेतन व भत्तों की राशि ₹13,804/–का भुगतान किया गया जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''ञ'' में दिया गया है। अतः इस राशि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त 01.01.2006 से इस कर्मचारी का वेतन संषोधित वेतन मानों में निम्न प्रकार निर्धारित करना अपेक्षित है :–

01.01.06	11540 +2400 =13940	(पुराने वेतन मान 4020–6200 में 6200 का...........)
01.07.06	11960 + 2400 = 14360	(वार्षिक वेतन वृद्धि)
06.10.06	12390 + 2400 = 14790	(प्रवीणता वेतन वृद्धि)
01.04.07	12840 + 2400 = 15240	(अतिरिक्त वेतन वृद्धि, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन–सी–ए(9)–7/98 दिनांक 12.06.07)
01.07.07	13300 + 2400 = 15700	(वार्षिक वेतन वृद्धि)
01.07.08	13780 + 2400 = 16180	(वार्षिक वेतन वृद्धि)
01.07.09	14270 + 2400 = 16670	(वार्षिक वेतन वृद्धि)
		D.N.I. 01-07-2010

अतः अधिक भुगतान की राशि की वसूली के साथ–साथ संषोधित वेतन मानों में 01.01.06 से पुनः वेतन निर्धारण किया जाए।

29 ifjokj fu;kstu HkÙks dh cdk;k jkf'k ₹1]593@&dk vns; Hkqxrku djuk %&

श्री महेश कुमार व श्री अनिल कुमार बेलदारों की सेवा पंजिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि इन दोनों को परिवार नियोजन भत्ते की बकाया राशि का भुगतान उनके नाम के सामने दर्षाए गए निम्न विवरण के अनुसार किया गया :–

deZpkjh dk uke	in	ifjokj fu;kstu HkÙks dh cdk;k jkf'k ds Hkqxrku dk fooj.k
(1) श्री महेश कुमार	बेलदार	परिवार नियोजन भत्ते की राशि ₹100/–प्रति मास की स्वीकृति अधिषासी अभियन्ता के आदेश संख्या हिमुडा/डी0डी0सी0बी/पी0एफ/महेश कुमार/07–8391–93, दिनांक 07.03.2009 द्वारा 13.01.2009 से की गई। बकाया राशि का भुगतान अवधि 13.01. 2009 से 30.05.2009 तक ₹461/–वेतन रजिस्टर वर्ष 2009 के पृष्ठ 33 के अनुसार किया गया।
(2) श्री अनिल कुमार	बेलदार	श्री अनिल कुमार बेलदार के पक्ष में परिवार नियोजन भत्ते की राशि ₹100/–प्रति मास की दर से अधिषासी अभियन्ता के आदेश संख्या हिमुडा/डी0डी0/सी0बी/पी0एफ/अनिल कुमार/07, दिनांक 07.03.2009 द्वारा दिनांक 01.03.2009 से स्वीकृत की गई। लेकिन परिवार नियोजन भत्ते की बकाया राशि ₹1,432/–का भुगतान अवधि 22.12.2007 से 28.02.09 तक के

लिए वेतन रजिस्टर वर्ष 2009—10 के पृष्ठ 7 द्वारा किया गया।

उपरोक्त दोनों प्रकरणों में कर्मचारियों द्वारा परिवार नियोजन से सम्बन्धित अभिलेख क्रमशः मास 3/2009 तथा 2/2009 के दौरान मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्रांक संख्या फिन(सी)(3)—8/88, दिनांक 14.03.2002 द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार परिवार नियोजन भत्ते की राशि का भुगतान, परिवार नियोजन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने पर अगामी माह से होना अपेक्षित था तथा बकाया राशि का कोई भी भुगतान देय नहीं था इस प्रकार उपरोक्त पत्र द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार श्री महेश कुमार बेलदार व श्री अनिल कुमार बेलदार को परिवार नियोजन की बकाया राशि क्रमशः ₹161/—(13.01.2009 से 28.02.2009 तक) व ₹1,432/— (22.12.2007 से 28.02.2009 तक) का भुगतान देय नहीं था। अतः कुल राशि ₹1,593/—की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

30 LVkj LVkd [kkr dh 31-03-10 dk 'k"k jkf'k o mi e.Myk d LVkd bUoUVjh dh jkf'k e ₹1]10]368-68 dk vUrj %&

दिनांक 31.03.10 को मण्डल के अधीन विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त स्टॉक इनवेन्टरी की सूचियों के अनुसार मण्डल के खाते में ₹61,22,225/—के मूलय का स्टोर शेष था। इस राशि का उपमण्डल/स्टोर वार विवरण निम्न प्रकार है :—

Øe l[;k	mi e.My dk uke	31-03-10 dk LVkj dh jkf'k
1	उप मण्डल पालमपुर	16,26,411.00
2	उप मण्डल—1 धर्मषाला	8,84,972.00
3	उप मण्डल ऊना	9,89,576.12
4	उप मण्डल चम्बा	24,18,843.00
5	उप मण्डल—1 धर्मषाला (नूरपुर)	2,02,423.20
	;kx	61]22]225-32

उपरोक्त राशि का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''त'' में दिया गया है। मण्डल द्वारा तैयार किए गए खाता बही के पृष्ठ 190 के अनुसार दिनांक 31.03.10 को मण्डल के सभी स्टोरों में शेष सामान का मुल्य ₹61,54,768/—था। इस प्रकार मण्डल के खाते तथा वास्तविक स्टोर के मूल्य में ₹32,542.68 की राशि का अन्तर पाया गया। अतः इस राशि के अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक के लेखों को सही किया जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.10 को मण्डल के तलपट में 31.03.10 को स्टॉक का कुल मूल्य ₹62,32,594/—दर्षाया गया है जबकि खाते बही में स्टॉक

का मूल्य ₹61,54,768 ⁄ —था तलपट व खाते बही मे स्टॉक के मूल्य के अन्तर राशि ₹77,826 ⁄ —को भी स्पष्ट किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

31 lek;ktu okÅpj la[;k 22] fnukad 3@2010 jkf'k ₹51]039@&

समायोजन वाऊचर संख्या 22 के उप वाऊचर संख्या 1 द्वारा राशि ₹2,684 ⁄ —का भुगतान मैसर्ज सैनी मोटर एण्टरप्राइज़िज गगल को कैश मीमों संख्या 153, दिनांक 09.11.09 के एवज़ में विभागीय जीप एच0पी0—39बी—7281 की मुरममत हेतु किया गया। वाऊचर की गहन जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई जिनका निपटारा करके किये गए व्यय को उचित ठहराया जाए।

(क) वाऊचर में वर्णित राशि का भुगतान सक्षम अधिकारी (अधिषाषी अभियन्ता) की स्वीकृति के पष्चात किया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त फर्म को राशि ₹2,684 ⁄ —का भुगतान बिना स्वीकृति के ही कर दिया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा वांदित कार्यवाही अब अमल में लाते हुए सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त वर्णित वाऊचर में संलगित कैष्मीमों मे वाहन की मुरम्मत पर बदले गए कलपुर्जों से सम्बनिधत दर सूचि सम्बन्धित वाऊचर के साथ संलगित न होने के कारण बदले गए पुर्जों की दरों की जाँच नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख को अगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करके किए गए व्यय को उचित ठहराया जाए।

32 fpfdRlk izfrIkwfrZ nkok fcyksa ds Hkqxrku ds :i esa jkf'k ₹2000@&dk vfu;fer@vf/kd Hkqxrku %&

स्टाफ अग्रिम तथा रोकड़ वाऊचरों की जाँच पर पाया गया कि मण्डल धर्मषाला के अधीन निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों ⁄ अधिकारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में उन दवाईयों तथा अन्य चिकित्सा परामर्षों हेतु भी भुगतान कर दिया गया जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत देय नहीं था। अधिक भुगतान की गई राशियों का विस्तार पूर्वक विवरण निम्नलिखित है :—

Ø0 la0	okÅpj la0 @fnukad	deZpkjh dk uke o inuke	Hkqxrku ;kX; jkf'k	Hkqxrku dh xbZ jkf'k	vf/kd Hkqxrku
1	जे0ई0 179 ⁄ 04.03.10	पवन कुमार जसवाल कार्य निरीक्षक उपमण्डल ऊना	280	370	90
2	जे0ई0 249 ⁄ 15.03.10	देश राज (चपडासी) उपमण्डल ऊना	686	1253	567

3	जे0ई0 269 / 15.03.10	रूप सिंह (पम्प ऑप्रेटर) उपमण्डल ऊना	1181	1664	483
4	जे0ई0 279 / 15.03.10	हरि कृष्ण (वरिष्ठ सहायक) उपमण्डल ऊना	197	247	50
5	रोकड वा0 16 / 02.03.10	आर0के0 गुप्ता कार्य निरीक्षक उप मण्डल धर्मषाला	1525	1657	132
6	रोकड वा0 61 / 05.03.10	देश राज (जे0डी0एम) मण्डल–धर्मषाला	1857	2120	263
7	रोकड वा0 261 / 29.03.10	ठाकुर दयाल शर्मा (वरिष्ठ सहायक) मण्डल–धर्मषाला	1469	1884	415
				;kx	2000

अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹2000/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके भविष्य में गहन जाँच उपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिलों का भुगतान सुनिषिचित करते हुए अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

33 e.My d v/khu fofHkUu fuek.k dk;k gr lekpkj i=k e fn, x, foKkiuk dk Hkxrku dk lUnHk e%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डल धर्मषाला के अधीन विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के भुगतान स्वरूप दावों में दिए गए विज्ञापनों के भुगतान स्वरूप राशि ₹54,000/–का व्यय किया गया जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है।

Ø0 l0	ok0 l0@fnukd	fooj.k	fuek.k dk; dk uke	Hkxrku dh jkf'k
1	168 / 23.03.10	हिमाचल केसरी (Bill No. 13 dated 07-03-08)	C/o fish Seed Farm at Kangra	13,500.00
2	170 / 23.03.10	हिमाचल केसरी (Bill No. 78 dated 21-05-08)	C/o Partially S.F.S at Khaniara	13,500.00
3	172 / 23.03.10	हिमाचल केसरी (Bill No. 177 dated 07-09-09)	C/o Police Quarter Type II	13,500.00
4	174 / 23.03.10	हिमाचल केसरी (Bill No. 177 dated 07-09-08)	C/o Police Quarter Type II	13,500.00

Total	54]000-00

उपरोक्त वर्णित वाऊचरों की जाँच पर पाया गया कि राशि ₹54,000/–का कुल भुगतान हिमाचल केसरी समाचार पत्र समूह को किया गया। इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार के दिषा निर्देषों के अनुसार यह विज्ञापन निदेषक, जन सम्पर्क (Public relation) के माध्यम से समाचार पत्र में छपवाये जाने अपेक्षित थे जबकि प्राधिकरण द्वारा नियमों की अवहेलना करके सीधे तौर पर इन्हें समाचार पत्रों में विज्ञापित करवा दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप नियमानुसार सम्बन्धित समाचार पत्र ऐजैन्सी को विज्ञापन हेतु किए गए भुगतान की राशि की 15% राशि सर्विस चार्जिज के रूप में काट कर राजकीय कोष में जमा करवाई जानी थी वह भी करवाई गई इस प्रकार प्रदेश सरकार के खाते में 54,000 x 15% = ₹8,100/- की राशि जमा नहीं करवाई गई।

अतः उपरोक्त वर्णित विज्ञापनों को निदेषक, जन सम्पर्क के दिषा निर्देषों के अनुसार विज्ञापित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सर्विस चार्जिज के रूप में हिमाचल केसरी समाचार पत्र समूह को किए गए अधिक भुगतान की वसूली/प्रतिपूर्ति जिम्मेवारी निर्धारण उपरान्त करके वापिस खाते में जमा करवा कर नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में राजकीय दिषा निर्देषों के अनुसार ही उपरोक्त कार्य को करवाया जाना सुनिष्चित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

34 ₹4]20]320@&dk 0;; Ik lEcfU/kr vfHkys[k dk iLrqr u djuk %&

¼d½ okÅpj la[;k 57] ekg 3@10] jkf'k ₹94]239@&

उक्त वाऊचर द्वारा ₹94,239/–का भुगतान थूरू राम को कार्य (खंजिया में गो सदन का निर्माण उपषीर्ष रिटेनिंग वॉल व अप्रोच रोड़ का निर्माण) के तृतीया एवं अन्तिम बिल का भुगतान किया गया। इस बिल के दौरान किए गए कार्य का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 1452/07 के पृष्ठ 77 से 86 तक किया गया था तथा बिल के दौरान करवाए गए कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1454/07 व 1438 जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इन मापन पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण के समय उपलब्ध करवाना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ okÅpj la[;k 238] ekg 3@2010] jkf'k ₹3]26]063@&

इस वाऊचर द्वारा राशि ₹3,26,063/–का भुगतान मैं मयंक इन्टर प्राईजिज़ को कार्य (चम्बा में 22 नं0 फिश पोड़स का निर्माण (कार्य अनुबन्ध संख्या 19 वर्ष 2006–07) इस कार्य से सम्बन्धित मापन पुस्तिका संख्या 1316 अंकेक्षण को जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में संविदाकार को

भुगतान की गई राशि की जाँच पड़ताल नहीं हो सकी। अतः इस वाऊचर से सम्बन्धित अभिलेख मापन पुस्तिका संहित अगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाना सुनिष्चित करें।

35 cid lek/kku lkj.kh r;kj u djuk %&

मण्डल की रोकड़ बही में जाँच करने पर पाया गया कि माह 6/2009 के पष्चात रोकड़ बही में मासिक बैंक समाधान सारणी तैयार नहीं की गई थी। बैंक समाधान सारणी के अभाव में बैंक खातों में शेष राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः मण्डल शेष मासों की बैंक समाधान सारणियां तैयार करवाने के उपरान्त अगामी अंकेक्षण के समय चैक करवाना सुनिष्चित करें।

36 y?kq vkifÙk foojf.kdk %& समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा वर्तमान के दौरान स्थल पर ही कर दिया गया है। अतः लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

37 fu"d"kZ %& उपरोक्त आपत्तियों के अलावा मण्डल के लेखों का रख–रखाव सन्तोष जनक पाया गया।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः –फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)119/88–खण्ड–15, दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि :–

ithdr %& (1) अधिषाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मषाला को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

(2) सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला–171002.

(3) सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम विहार, षिमला–171002.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

ifjf'k"V ^^d**

fgekpy in'k vkokl ,o 'kgjh fodkl ikf/kdj.k d /ke'kkyk e.My d y[kkvk d vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu d ijk 1¼[k½ e lUnfHkr gA xr vd{k.k ifronu e vfu.khr ijk ij dh xbl dk;okgh d voykdu d mijkUr 'k"k ijk dk fooj.k %&

¼d½ vd{k.k ifronu vof/k 4@89 l 3@90

1	पैरा 5(5)	अनिर्णीत

¼[k½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2000 l 3@2001

1	पैरा 15	अनिर्णीत

¼x½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2001 l 3@2002

1	पैरा 10(5)	निर्णीत
2	पैरा 10(6)	निर्णीत
3	पैरा 10(7)	निर्णीत

¼?k½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2003 l 3@2004

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 17	अनिर्णीत
4	पैरा 20(क)	अनिर्णीत

¼³½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2004 l 3@2005

1	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 14	निर्णीत

¼p½ vd{k.k ifronu vof/k 4@2005 l 3@2006

1	पैरा 4	निर्णीत
2	पैरा 5(2)(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(1)	निर्णीत
5	पैरा 7(2)	निर्णीत
6	पैरा 7(3)	निर्णीत
7	पैरा 8(1)(ए)	अनिर्णीत

8	पैरा 8(1)(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 8(1)(सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
12	पैरा 12	अनिर्णीत
13	पैरा 13(2)	अनिर्णीत
14	पैरा 14	निर्णीत
15	पैरा 15	अनिर्णीत
16	पैरा 16	अनिर्णीत
17	पैरा 18	अनिर्णीत
18	पैरा 19	निर्णीत
19	पैरा 22	निर्णीत

¼N½ vad{k.k ifrosnu vof/k 4@2006 ls 3@2007

1	पैरा 4	निर्णीत
2	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(4)	निर्णीत
6	पैरा 8	निर्णीत
7	पैरा 8(1)	निर्णीत
8	पैरा 9	निर्णीत
9	पैरा 11(1)(1से4)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(5)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(6)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(7)	अनिर्णीत
16	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत

18	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
19	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
20	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
21	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 15(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 15(3)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
25	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
26	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
27	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
28	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
29	पैरा 17(3)	निर्णीत
30	पैरा 17(4)	निर्णीत
31	पैरा 17(5)	अनिर्णीत
32	पैरा 18(2)	निर्णीत
33	पैरा 19(1)	अनिर्णीत
34	पैरा 19(2)	निर्णीत
35	पैरा 19(3)	अनिर्णीत
36	पैरा 19(5)	निर्णीत

¼t½ ¼i½ ,l0Mh0,0 mie.My /kekZ'kkyk dk vkd{k.k ifrosnu o"kZ ¼1996&1997½

1	पैरा 72(बी व सी)	अनिर्णीत
2	पैरा 73(ख व ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 74	अनिर्णीत
4	पैरा 75	अनिर्णीत
5	पैरा 76	अनिर्णीत
6	पैरा 77(क व ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 78	अनिर्णीत
8	पैरा 79	अनिर्णीत
9	पैरा 80	अनिर्णीत
10	पैरा 81	अनिर्णीत

11	पैरा 82	अनिर्णीत

¼ii½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@97 ls 3@98

1	पैरा 15(फ, व, भ, म, त झ, ञ)	अनिर्णीत
2	पैरा 33 (ख, ङ, च, ज, झ, ञ)	अनिर्णीत
3	पैरा 34(क, घ, ठ)	अनिर्णीत
4	पैरा 35(क, ख, ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 36(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 37(क, ख, ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 38	अनिर्णीत
8	पैरा 39	अनिर्णीत
9	पैरा 40	अनिर्णीत
10	पैरा 41(क, ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 42	अनिर्णीत
12	पैरा 43	अनिर्णीत
13	पैरा 44	अनिर्णीत
14	पैरा 45(क, ख, ग)	अनिर्णीत
15	पैरा 46(क, ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 47	अनिर्णीत
17	पैरा 48	अनिर्णीत
18	पैरा 49(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
19	पैरा 50	अनिर्णीत
20	पैरा 51	अनिर्णीत
21	पैरा 52	अनिर्णीत
22	पैरा 53	अनिर्णीत
23	पैरा 54	अनिर्णीत
24	पैरा 55	अनिर्णीत

¼iii½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@98 ls 3@99

1	पैरा 27	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत
3	पैरा 31	अनिर्णीत

¼iv½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@99 ls 3@2001

1	पैरा 54	अनिर्णीत
2	पैरा 55	अनिर्णीत
3	पैरा 56	अनिर्णीत
4	पैरा 57	अनिर्णीत
5	पैरा 58	अनिर्णीत
6	पैरा 59	अनिर्णीत
7	पैरा 60	अनिर्णीत
8	पैरा 61	अनिर्णीत

¼>½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2007 ls 3@2008

1	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
5	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12(क)	निर्णीत
10	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 13	अनिर्णीत
13	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 15	अनिर्णीत
16	पैरा 17	निर्णीत
17	पैरा 18	निर्णीत

¼¥½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2008 ls 3@2009

1	पैरा 3	निर्णीत
2	पैरा 4(i)	अनिर्णीत

3	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(ii)	निर्णीत
6	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
7	पैरा 6(i)	निर्णीत
8	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(iii)	निर्णीत
10	पैरा 7(i) से 7(iv)	अनिर्णीत
11	पैरा 8(i) से 8(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(i)	निर्णीत
13	पैरा 9(ii) व (iii)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(iv)	निर्णीत
15	पैरा 10	निर्णीत
16	पैरा 11	निर्णीत
17	पैरा 12	अनिर्णीत
18	पैरा 13	अनिर्णीत
19	पैरा 14	निर्णीत

¼vuqi dqekj ?kks:½